

(1)

OFFICE ORDER

Sub.: Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades.

In pursuance of Corporation Board's Resolution No. 14/92 Dated 28.3.92 and the approval conveyed by the S.P.Z. (State Govt.) vide its letter no. F.2(1)SPE/92/1329 Dated 26.4.93 the Corporation is pleased to grant Selection Grades to its employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Service and those holding isolated posts. As a result of issuance of this order, the orders/amendments issued in the past for selection scales shall stand superseded.

1. This order shall be applicable to all Corporation employees in Class IV, Ministerial and subordinate services and those holding isolated posts and drawing pay in Revised pay Scale, 1989 the maximum of which does not exceed Rs. 300/-.
2. (i) The first selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of nine years, provided that the employee has not got one promotion earlier as is available in his existing cadre.  
 (ii) The second selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of eighteen years, provided that the employee has not got two promotions earlier as might be available in his existing cadre.  
 (iii) The third Selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of twenty seven years, provided that the employee has not got three promotions earlier as might be available in his existing cadre.
3. The service of nine, eighteen or twenty seven years, in the case may be, shall be counted from the date of first appointment in the existing cadre/service in accordance with the provisions contained in the Recruitment Regulations.

Provided that, if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, as a result of direct recruitment, is appointed to some other post in the same cadre or any other cadre, service from the date of later appointment shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.

G/V

provided further, that if an employee suspended in his first appointment to a post in a cadre/service, in accordance with provisions contained in the relevant service Rules, is promoted to a post in some other cadre, service in the date of such promotion shall be taken into consideration for the purpose of grant of the Selection Grade.

Provided further, that in the case of an employee who is declared surplus and absorbed against a new post in service of nine, eighteen or twenty seven years, which case may be, shall be deemed to have been completed on the date on which his immediately junior employee completes that period of service or on completion of service from the date of appointment to the post held before absorption whichever is later.

4. (i) The first selection grade, wherever admissible in terms of this order shall be the pay scale of the next promotion post in the same service/cadre i.e. Class-IV/ Ministerial/Subordinate Service provided that in case there is no next promotion post in the same service/ Cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the first selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale as specified in Paragraph-5.  
  
(ii) The second Selection Grade, where admissible, in terms of this order shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre provided that in case the second promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (Pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph-5.  
  
(iii) The third Selection Grade, wherever admissible in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre, provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of Rs. 2200-4000 (16) or there is no third promotion post in the same service/cadre

or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third Selection Grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (Pay scale of the post held or the selection grade) as specified in paragraph-5.

5. The first, second and third selection grade shall strictly be granted as indicated in enclosed Appendix 'A' in connection of 9, 18, 27 years of service as the case may be.

NOTE: If an incumbent of the isolated post or a person not possessing academic qualifications prescribed for promotion has been granted Selection Grade before issue of this order and such Selection Grade is higher than that indicated in this appendix, he will continue to draw pay in such Selection Grade as personal to him but the second or third selection Grades shall be determined with reference to the first or second selection grade which would have been admissible in terms of this Appendix.

6. The appointing authority for the post held by employee shall be competent to grant Selection Grade. In respect of categories of posts where seniority is maintained by an authority senior to the appointing authority, such senior authority shall be competent to grant selection grade.
7. Selection grades in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the purpose of grant of the Selection grade.
8. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if an employee foregoes promotion on issue of order to this effect, he shall not be granted second or third Selection Grade under this order.
9. Grant of Selection Grade shall not affect the seniority in the cadre nor the sanctioned strength of each category of posts in the cadre.
10. If an eligible employee becomes entitled to second or third Selection Grade straightway in terms of this order, his pay would be fixed directly in the second or third selection Grade, as the case may be with reference to pay being drawn immediately before grant of the second or third selection Grade.

- (4)
- or third Selection Grade, as the case may be, the minimum pay in the selection Grade shall be fixed at the next stage above the pay actually received at or immediately before the pay being drawn by him in the existing pay scale (Pay scale of the post held or the Selection Grade) by one increment. If selection grade is granted to an employee with effect from the date on which he earns increment, pay in the selection Grade will be fixed with reference to the pay admissible in the existing pay scale including the increment.
12. The pay of the employees already granted selection Gr I or II before issue of this order shall be re-fixed at the next stage in the Selection Grade admissible in terms of this order. Pay in the second or third Selection Grade admissible in terms of this order shall be fixed thereafter.
13. In case of an employee who gets his regular promotion after getting the Selection Grade (identical to or lower than the pay scale of the promotion post), his pay shall be fixed in the pay scale of the promotion post at the equal stage. If there is no equal stage in the pay scale of the promotion post, pay shall be fixed at the next higher stage. In cases where the Selection Grade (second or third) already granted to an employee is higher than the pay scale of the promotion post, the employee shall continue to draw pay in the Selection Grade and his pay shall not be fixed in the pay scale of the promotion post.
14. The next increment in the Selection Grade shall be granted to an employee on the date he would have drawn his increment had he not been granted the Selection Grade, provided that where the pay is fixed at the minimum of the Selection Grade and the pay so fixed is more than the pay drawn in the existing pay scale by an amount equal to the amount of the next increment in the existing pay scale plus the amount of first increment in the Selection Grade, the next increment shall be admissible after completion of service for the full incremental period of one year.
15. The formats (B & C) in which sanction of selection grade shall be issued and fixation done are enclosed herewith for ready reference.

This order shall come into force with effect 25.1.93.

Encl. as above -Three  
1. Scale of Rs.775-1025  
2. Appendix 'A'  
3. Formats 'B' & 'C'

U.P. D.

MANAGING DIRECTOR

5/

No. F.2(72)Accts/Rules/93/ 2971

Dated: 27.4.93

(5)

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Heads of Department, RSRTC, Jaipur
2. All Executive Managers, RSRTC,
3. All Chief Manager, RSRTC,
4. All Manager (Op.)/(I/c)/(Tr.), RSRTC,
5. Resident Audit Officer, RSRTC, Jaipur.

Copy for:- 1) G.P.

*Copy to*  
P.A. & Chief Accounts Officer,  
27.4.93

No.F.2(72)Accts/Rules/93/ 2971 Dated : 27.4.93

Copy is also forwarded to the following for information :-

1. The Dy. Secretary to the Govt., Transport Department Secretariate, Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. The Dy. Secretary to the Govt., State Enterprises Department(B.P.E.), Govt. of Rajasthan, Jaipur.

or

*Copy to*  
P.A. & Chief Accounts Officer.  
27.4.93

*for G.P.*

6

(6)

Statement of Prescription of Posts  
for 1972 on completion of G. L. P. 2016/71 dated 21.12.1971.

S.No.	Name of the Post.	Pay Scale	Revised	1971
1.	Peon, Chowkidar, Orderly 750-940 Gardener, Sweeper.	775-1025 (Table is enclosed)	800-1250	875-1320
2.	Artisan Gr.III (Non-ITI) 800-1250 (For-ITI) 910-1520	825-1350 950-1680	950-1680 1025-1800	1200-2050 1400-2600
3.	Lower Division Clerk.	950-1680	1200-2050	1400-2600 1640-2700
4.	Telephone/Teleprinter Operator.	950-1680	1200-2050	1400-2600 1640-2900
5.	Com. under. Cooking Clerk/Conductor/Adda Conductor.	950-1680	1200-2050	1400-2600 1640-2900
6.	Mistry (Civil).	910-1520	975-1720	1200-2050 1400-2600
7.	Chargeman.	1025-1600	1400-2500	1640-2900-2000-3200
8.	Storm-Sub-Inspector.	1200-2050	1400-2600	1640-2900-2000-3200
9.	Computer.	1200-2050	1400-2600	1640-2900-2000-3200
10.	Draftsman.	1200-2050	1400-2600	1640-2900-2000-3200
11.	Stenographer.	1400-2300	1640-2900	2000-3200 2100-3500
12.	Accountant.	1400-2350	1640-2900	2000-3200 2000-3500
13.	Job Assistant.	1400-2500	1640-2900	2000-3200 2000-3500
14.	Labour Welfare Officer.	1640-2900	2000-3200	2000-3500 2200-4000
15.	Artisan Gr.I.	1025-1600	1400-2600	1640-2900 2000-3200
16.	A.T.I.	1200-2050	1400-2600	1640-2900 2000-3200
17.	Overseer/JEN (Civil)	1400-2300	2000-3200	2000-3500 2200-4000

L. J. S.  
 20-12-72

Table 1A

77

Pay scale No. 1A - 775-12-030-10-005-1025

Stage in existing pay scale.	Fixation benefit. Pre-fixation increments in per reg. 5(4)	Value of which pay is to be fixed in the pay scale.
710	50	760
720	50	770
730	50	780
740	50	790
750	50	800
760	50	810
770	50	820
780	50	830
790	50	840
800	50	850
810	50	860
820	50	870
830	50	880
840	50.40	890.40
850	51.00	901.00
855	51.90	915.90
860	52.80	932.80
865	53.70	948.70
	54.60	964.60
		980
		995
		1010
		1025

OFFICE ORDER.

(6)

Subject: Prescription of selection grades for Drivers.

In pursuance of Corporation Board's resolution No. 57/93 dated 10.5.93, it has been decided that drivers may also be given the benefit of higher pay scale on completion of 9, 10 and 27 years of services. The third pay scale to be given on completion of 27 years of service is not specifically available for the category of drivers at present. Therefore, the third scale would be eliminated after approval from the State Govt.

Accordingly selection scales may be granted to drivers on completion of 9 and 10 years of service as per appendix 'B' indicated below on the terms and conditions as laid down in G.O.M.R. order No. F.2(72-A)accts/Rules/93/297 dt. 27.4.93 :-

Appendix 'B'

Name of the post.	Pay scale.	Selection scale.	
		I	II
Driver	950-1800		

*S. L.*  
Managing Director.

No. F.2(72-A)accts/Rules/93/ 3630

Dated : 26.5.1993

Copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. All Heads of Departments, RRTC, Jaipur.
2. All Chief Production Managers, RRTC.
3. All Executive Managers, RRTC, Jaipur.
4. Resident Unit Officer, RRTC, Jaipur.
5. All Chief Managers, RRTC.
6. All Managers, (A./A.) (Ap.), RRTC.
7. P.S. to Chairman I.D., RRTC, Jaipur.
8. Copy in third file.

*J. K. O.*  
S.A.P. & Chief Accounts Officer.  
(contd.)

*(-)* *JKO*

Subject: Clarification on Pay Scales  
Date: 20.11.90  
Reference: 11.1001 9

1. Lists of Departments/  
Chief Production Managers/  
Ex-Officio Managers/  
Shift Managers/  
Accounts Officers/A.A.O.'s/  
Managers A/c's/  
RSRTC.

Subj: Regarding clarification on Pay Scales  
clauses under the Settlement.

As per the settlement arrived at between AITJC Union and the RSRTC on 20.11.90, certain pay-scales of the technical cadres (Artisans) were agreed to be enhanced w.e.f. 1.1.90 without any payment of arrears and accordingly, orders for revision of pay scales were issued vide No.P.2(73)Accts/Rules/91/0124 dated 20.11.91.

In this connection, some doubts/questions have been raised by the unit offices as well as Union Representatives regarding exercising of options, computation of service rendered on the post other than Artisan Gr.III and Providing the scale of 910-1500 to the Vulcanizers etc.

The matter was referred to the Finance Department (Ruler) in the State Govt. for seeking clarification on the points of doubts and questions. The State Government has examined the questions and sent clarification vide their letter No., 20(17) FD(Gr.2)u9-Pt.11 dated 21.9.93 which are as under :-

- i) Pay Scale of the post of Artisan Gr.III who is advisedly revised from 1.9.1980, Hence, existing Artisan Gr.III can exercise revised option. An existing Artisan Gr.III who earlier opted revised pay scale from 1.9.1980, if now opts revised pay scale of 910-1500 (mainly for him) from a date subsequent to 1.9.90, the excess amount will be paid till the date of revised option on account of his fixation under revised pay scale of 910-1500 shall be recoverable from him.
- ✓ ii) Service rendered on the post other than Artisan Grade III can not be taken into account for computing 10 years service for the purpose of allowing pay scale of 910-1500 to Artisan Grade III not possessing I.T.I. certificate.

Contd...?.

(D)

121) Vulcanizers (Artisan Gr.III) who do not possess I.T.I. certificate or have not completed 10 years service on the post of Artisan Gr.III can not be allowed pay scale of 910-1520.

It is enjoined upon all the Accounts Officers, Asstt. Accounts Officers and Managers (Accounts) working in the unit offices to ensure that the matters of revision of pay scale under the orders dt. 20.11.91 are finalised accordingly and compliance reported to the undersigned.

This may please be acknowledged and treated as MOST URGENT.

T.G.K.  
Managing Director.

Copy to the concerned officers  
for information and action.  
The Director, Finance and Accounts  
and Director, Production and Works.

Copy to the concerned officers  
for information and action.  
The Director, Production and Works.

Copy to the concerned officers  
for information and action.  
The Director, Production and Works.

संवादी/प्रादेशिक

(ii)

इह जामीन के प्रादेशिक रक्त ७२-८५/लेहा/नियम/९३/२९७।

दिनांक २७.०६.९३ द्वारा प्रधानमंत्री वेतनमान सम्बन्धी आदेशों में यह उल्लेख  
किया गया था कि हेतोभजनक लेखांशीय होने पर भी अधिकारी को व्यनित वेतनमान  
नान हीकृत किया जावें। इस देश वार्षिक सूचीबद्ध द्रोतवेदनों का अध्ययन  
किया जाता है परन्तु जीतपर्यामान में वार्षिक जारी सूचीबद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध  
नहीं होने के बावजूद चयनित वेतनमान नियमित हा प्रक्रिया से नियमित  
हो पाता है।

अतः ऐसी विधियों को टालने के उद्देश्य से एवं प्रस्तावित भावेश दिनांक  
२७.६.९३ में आंशिक विधायक जल्ते हुए पर भादेश प्रस्तावित विधि जाते हैं एवं विधि  
प्रधारी का एवं सूचीबद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं हो सके तो व्यनित वेतनमान  
के प्रक्रिया का नियमान्वय शर्त है तिथि विधायक विधि जारी को शुरू करने के  
साथ ही व्यनित वेतनमान एवं इस द्वारा दिया जावें।

१. अधिकारी को नियम बोर्ड एवं विधायक उपचार कोडवाला जावें ता प्रक्रिया विधायकीय  
हो।

२. अधिकारी को पिछो काँच में विधायक वार्षिक जारी सूचीयों मिलती ही द्वारा एवं  
विधायक विधायकीय दाता मौखिक रूप से द्वारा प्रसार द्वारा दिया जावें।

*R.A.C.L*  
विधायक विधायकीय एवं २०१८  
मुद्रा विधायकीय

उम्मीद: रक्त ७२-८५/लेहा/नियम/९४/ ४०२९

दिनांक: २३.६.१९९४

प्रतिवेदन:- नियम को सुधाराय रख गायत्र वार्षिक द्वारा होने प्रभित है:-

१. समस्त विधायकाधीश, रा. रा. प. व. नियम, अप्रूर।
२. समस्त लार्यकारी प्रविधि, एवं मुख्यालय, अप्रूर।
३. समस्त मुख्य उत्तराधिकारी/लेहा विधायकीय, लेहा विधायकीय/उपर्योगी/प्रोफ्युर।
४. एवं एवं प्रविधि/प्रविधि/एवं, रा. रा. प. नियम, अप्रूर।
५. उधारीय विधा परीक्षा अधिकारी, रा. प. नियम, अप्रूर।
६. रा. प्रादेशिक/सहायक विधायकीय/विजेता/गुणलाली, मुख्यालय, अप्रूर।
७. उचिती संचय अध्यक्ष/प्रविधि विधायक, रा. प. नियम, अप्रूर।
८. आदेश/रोक्त प्रादेशिक।

*R.A.C.L*  
विधायक विधायकीय एवं २०१८  
मुद्रा विधायकीय

18

۱۰۷

十一

1

1000 111

राजस्थान सरकार द्वापर्य परिवहन निगम, जयपुर।  
फोन्स - ५८२१२२१/लैटर अफ्टर्स/५१९३

15771-1 - 17,5,04

- ५ - कार्यालय-प्रगति -

੮੫੭ ਅਤੇ ਕਾਰਨਿਕ ਲੋਗਾਂ ਦੁਆਹੀ ਏਫ2/੭੨/ਪੋਸ਼/ਗੇਟਾ/੧੩/ 2070 ਵਿਖੇ ੧੯-੮-੦੩ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤੇਦੁਆਹੀ ਰਿਸਾਵ ਰਾਮਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਖੇ ਅਥੇਤੇ ਨੈਂਹ ਰਿਵਾਯਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤੇਦੁਆਹੀ ਵਿਖੇ ਲਾਈਫ਼ ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਪਰ ਆਰ ਕਾਸ਼ ਗਲਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਸਾਰੈਖਣ ਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਧੀਨ ਕੋ ਮਿਸ਼ਨਿਗ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਦਲ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਰਜ ਕੇ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੁਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਯਹ ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣਾਵਾ ਗਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।

जतः संदेश के निधारण ऐसु लादू प्राप्ता पर स्फटि लिया जाता है कि अद्वैत छोर्द्वय कर्मधारी चायाकृत्य निर्गति रो लागत। जास भेदा में आया है किन्तु उसे सेवान्वय अद्वैत का वेतन भुक्तान नहीं हुआ है, तो उस अद्वैत की अद्वैतिक अवकाश नाक्षम चलती है अनामन हेतु भेदा अद्वैत की अपाना में अधिकारी नहीं विद्युत भेदा।

। लं ताप्य मनाएकार् ॥८॥ प्रत्यक्षेति ॥८॥ । ११

कुमाऊँ :- एफ२४७२५/सेहा/नेहम १९४/ ८१९३ दिनांक :- २२.६.०५

पुत्रेन्द्रिय जिस को सूचनाधं एवं आधारय कारबिली हेत प्रोटक्ट है।

१. समल विभागाध्यक्ष, राजस्थान फैरेटहॉल निवास, जयपुर ।
  २. समल भुज्या सज्जाद्दन पुबन्धक, फैन्ड्रीव लाइटिला, राजस्थानियाम् ।
  ३. समल कार्किलारी पुबन्धक ॥ राजस्थानियाम्, मुख्यालय जयपुर ।
  ४. स्थानीय खेता परीदा अधिकारी, राजस्थानियाम्, मुख्यालय जयपुर ।
  ५. समस्त मुख्य पुबन्धक, रा०रा००७०५०७८नियाम् ।
  ६. नियी कीभव अध्यक्ष / प्रबन्ध फैन्ड्रीव, राजस्थानियाम्, मुख्यालय जयपुर ।
  ७. सहाय्य लेखाधिकारी / मुख्यालय ॥ राजस्थानियाम्, मुख्यालय जयपुर ।
  ८. लादेश / फैन्ड्रील भाषाकर्ता ।

ପିଲାମ ନାଥରେ ଏହି କଣ୍ଠରେ ଦାଖି

S/No. 231  
12/13

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION, JAIPUR.  
Accounts (Rules ) Department.

No. F.2(72-A)/Accts/Rules/94/ 3524

Dated: 30.3.1994

OFFICE ORDER

Sub: Prescription of Selection Grades for employees  
in Class IV, Ministerial and Subordinate Services  
and those holding isolated posts and fixation of  
Pay at Selection Grade.

In pursuance of the Corporation Board's resolution No. 36/94  
dated 24.3.94, the existing para No.10 of this office order  
No. F.2(72-A)/Accts/Rules/93/297 dated 29.4.93 is substituted  
by the following, namely:-

- If an eligible employee becomes entitled to second selection grade straightway in terms of this order, his pay would first be fixed in the first selection grade with reference to pay being drawn immediately before grant of second selection grade and thereafter on the same date his pay would be re-fixed in second selection grade with reference to the pay fixed in the first selection grade or arrived at in terms of provisions of para 12 of aforesaid order in respect of first selection grade, as the case may be.
- If an eligible employee becomes entitled to third selection grade straightway in terms of this order, his pay would first be fixed as per clause(s) of this para and thereafter on the same date his pay would be re-fixed in third selection grade with reference to the pay fixed in the second selection grade ."

The order shall be deemed to have come into force with effect from 25.1.1992.

*P.A.C.O.*  
Financial Advisor & C.A.O.

No. F.2(72-A)/Accts/Rules/94/ 3524 Dated:- 30.3.1994

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- All Heads of Department, RRTC, Jaipur.
- All Chief Production Managers, RRTC.
- All Executive Manager/Assistant Audit Officer, RRTC.
- All Chief Managers, RRTC.
- All Managers(A/Cs) (Tr.,)(Op), RRTC.
- Order to Chairman/M.D., S.R.C, Jaipur.

*P.A.C.O.*  
Financial Advisor & C.A.O.

## परीक्षण

प्रति इतिहासक/  
पुराण उत्तराधिकारी  
उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी  
भूष्य पुराण  
निर्विवरण अध्ययन पुराण निर्विवरण  
राजस्थान विविध निगम,

किम्बः - नौम.आई.टी.आई. आर्टिजन ऐड-11। को देय  
चर्चनित खेतमान के अधीक्षित वाचन।

का० आगाम आयागियों रो राम दिव प्राप्त हो रहे हैं, कि नौम.आई.टी.  
आई.आर्टिजन ऐड-11। को चर्चनित खेतमान के अधीक्षित में को० का० खेतमान दिया जाएँ।

उक्त आगमों का परीक्षण करने के उपरान्त सन्देह के निवारण हेतु  
सदृश चारा निर्विवरण किया जाता है कि नौम.आई.टी.आई.आर्टिजन ऐड-11। को  
चर्चनित खेतमान ऐ० अ० में निम्न पुकार से अपनिल खेतमान अवीष्ट छिये जाएँगे -

1- ऐ० नौम.आई.टी.आई.आर्टिजन ऐड-11। जिन्हें 25. 1. 92 अथा  
इसके पूर्व 10 वर्ष की लेवा पूर्ण करने पर 910-1520 का खेतमान  
के दिया गया है त्रुज्ज्ञ आदेश तुमाङ्क 297। दिनांक 27. 4. 93 के  
अपेनिक्षक १० ९१०-१५२० के आगे दशायी गये चर्चनित खेतमान  
देय होंगे।

2- ऐ० नौम.आई.टी.आई.आर्टिजन ऐड-11। जिन्होंने 297। 92  
अथवा इसके बाद इस भी 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण नहीं कियाहै  
तथा जो १०००-१२५० का खेतमान प्राप्त हो रहे हैं, तो २५. १. ९२  
अथवा इसके बाद १० वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर ८२५-१३५०  
का अपनित खेतमान दिया जाएगा परन्तु इसके पश्चात अल्पोही  
इन्हें द्वारा 10 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर दिया जाएगा, इन्हें  
१५०-१६८० की खेतमान अंतरा में परिवर्तित कर दिया जाएँगे एवं  
खेत निधारिणा पर किनी भी पुकार का अन्य नाम न देते रहें।  
केवल निधारिणा छिया जाएँ। ताकि १० वर्ष के सेवाकाल पर  
१०२५-१४०० तथा २७ वर्ष के सेवाकाल पर १४००-२६०० के अपनित  
खेतमान का अभाव उभी पुकार गिल सके। कि आई.टी.आई.  
आगमा २५. १. ९२ पा इसी पूर्व १० वर्ष की सेवाकाल पूर्ण करने पर  
नौम.आई.टी.आई.आर्टिजन ऐड-11। को मिल रहा है।

मृगलक्षण-१२१

विद्युत्तम राजाध्यकार एवं मुख्येष्वामिलारी

15

F.O. 2(72-A)Accts/Rules/03/2002

Dated 1.1.1995

OFFICE ORDER

Subject: Prescription of Selection Grades for employees  
in Class IV, Ministerial and Subordinate Services  
and those holding Isolated posts and Fixation  
of pay in Selection Grades.

In continuation to this office order No.F.2(72-A)Accts/  
Rules/93/2971 Dated 27.4.93 amended from time to time, the following  
posts are further inserted in Appendix 'A' :-

S.No.	Name of post	Pay Scale	Selection Scale		
			I	II	III
1. Ferroman	750-940	775-1025	800-1250	825-1350	
2. Security Guard	7025-1350	950-1000	1200-2000	1400-2600	
3. Surveyor (Civil)	1025-1000	1400-2500	1540-2900	2000-3200	
4. Artisan Gr.II	950-1500	1025-1500	1400-2000	1540-2900	
5. Traffic Inspector	1400-2600	1840-2900	2000-2900	2140-3300	
6. J.E.N.Gr.B	1675-2500	1900-2900	2175-3200	2400-3500	
7. J.E.N.Gr.A	2000-3200	2600-3500	2775-4000	-	
8. Drivers	950-1500	1175-1500	1600-2600	1640-2900	

The grant of selection scale would be subject to the following terms and conditions :-

- The Selection Scales are applicable only for the posts which are filled in by direct recruitment as per service regulations of the Corporation. In case of posts which are also filled in by promotion, the promotees on the posts would be entitled for selection scales prescribed for the posts to which they were initially recruited.
- The terms and conditions for grant of selection scales as stipulated in this office order No.F.2(72-A)Accts/Rules/93/2971 Dated 27.4.93 amended from time to time would apply.

This bears approval of the O.P.C. vide their letter No.F.2(34)W.E/95/NGT/C/1447 Dated 30.9.1995.

*J. P. S. K.*  
MANAGING DIRECTOR

Encl: 1, 2, 3

K

77

No. P.2(72-A) Accts/Rules/95/ 3C12

Dated: 8.5.95

Copy forwarded to the following for information  
and necessary action:

1. Head of Department, MSITC, Jaipur.
2. All Chief Production Manager, MSITC.
3. All Executive Managers, MSITC.
4. All Chief Manager, MSITC.
5. All Manager(OB)(A/ee)(PP), MSITC.
6. Resident Audit Officer, MSITC, Jaipur.
7. P.S. to Chairman/M.D., MSITC, Jaipur.
8. Order/Guard File.

23/05/95

16/05/95 - Q

Financial Advisor & C.A.O.

Mr. D. K. Patel

(OK'd)

—*THE INFLUENCE OF THE EARTH'S MAGNETIC FIELD ON THE NATURE*

1970-1971, 1972-1973, 1973-1974, 1974-1975

$$\Omega_{\text{m}}(r) = \Omega_0 \left(\frac{r}{r_0}\right)^{\gamma}$$

15

17

卷之三

**Subject:** Prescription of Selection Grades for the employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grade.

In pursuance of the Corporation Board's resolution No.30/95 dated 5.9.1995, the existing para 12 of the order No.V.2(72-h) "cotton/miles/93/2071 dated 27.4.93 is hereby substituted by the following :-

ii. The pay of the employees already granted Selection Grade before issue of this order shall be re-fixed at the next above stage in the selection grade admissible in terms of this order provided that in cases, where pay in the selection grade was fixed at the minimum, and the pay so fixed is equal or more than the pay drawn in the ordinary pay scale by an amount of next increment in the ordinary pay scale plus first increment of the selection grade, the provision of fixation of pay at the next above stage in the selection grade in terms of this order shall not be applicable. Pay in the second or third selection grade admissible in terms of this order shall be fixed thereafter."

The order shall be deemed to have come into force with effect from 25.1.1992.

Financial advisor &  
chief accounts officer

180 + 60 = 240 (700 - 40) = 660 180 / 180 = 1 240 / 660 = 2/3

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. All Heads of Departments, KSFMC, Jaipur.
  2. All Executive Managers, KSFMC, Jaipur.
  3. All Chief production Managers, KSFMC, Jaipur.
  4. All Chief Managers/managers(A/c), KSFMC, \_\_\_\_\_
  5. P.S. to Chairman/M.D., KSFMC, Jaipur.
  6. Order Guard file.

Financial Advisor &  
Chief Accountant.

राजस्थान राज्य पप प्रीरक्षण मिशन, अद्यमुख

18

શ્રીંગારફ. 2 [૨૨૮] દી ૨૭/૧૯૮૬/૧૯/૧૯૮૬/ ૬૩૯૭  
બાધાત્મિક-માદ્ય

ਪੰਨਾ: 26.9.96

ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋਰੀਕਾਂ ਵੱਡੇ ਅਥਾਪੀ ਵੀ ਗਤਾ ਮੈਂ ਬਾਬੁਨ੍ਧ ਦੇ ਰਾਜ ਲਗਾਉ  
ਕੇ ਨੋਟੋਪੀਡੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੁਧੂ-2 ਫਿਲਾਰਾਮਕਾ ੩-੩/੭੩੬ ਦਿਨ ਅੱਠ ਤੋਂ ੪-੪/੧੩ ਦਾ ਰਾ  
ਪੁਲਾਰੀਤ ਸ਼ਖ਼ਤੀਯਣ ਤੋਂ ਪੁਰਾਨਾ ਨਿਗਮ ਲੈ ਸੂਰ੍ਖੇ ਯਸਾਰੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ ਪੀਂ ਨਿਰਹਤ ਫਰੋਤੇ ਹੁਏ,  
ਨਿਗਮ ਛੰਪਾਰੀਧੀਆਂ ਪੀਂ ਘਰਾਂਨਾ ਪੈਂਕਾਨ ਸ਼ੀਹੂਤ ਹਨਕੇ ਛੇਤ੍ਰ ਦੇਣਾ ਅਥਾਪੀ ਵੀ ਗਤਾ ਮੰਧਿਤ ਹੈ  
ਤਿੰਨ ਫਿਲਾਰ ਅਨੇ ਛੇਤ੍ਰ ਆਦੇਂ ਪੁਲਾਰੀਤ ਦਿਵੇ ਜਾਂਤੇ ਹਨ।

1. ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਧੀਮਿਤ ਲੇਖ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਹੁਏ ਪਹਿਨਿਤ ਬੈਲਨਮਾਨ ਵਿਚ੍ਛੂਤ ਕੇਂਤੁ ਲੇਖ ਗਵਾਈ  
ਫੀ ਗਣਸਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪਜਨਾਂਦੀ ਭਰ੍ਬਾਰੀ ਪੈਂਤ ਦਿਨਾਂਹੁੰ ਤੇ ਨਿਗਮ ਲੇਖ ਕੇ ਜਿਤੀ ਸੰਘਰ ਵਿਚੋਖ  
ਮੈਂ ਨਿਅਮੀਤ ਤ੍ਰਿ ਤੇ ਨਿਕੁਤ ਹੋਵਾ ਏ ਹਫੀ ਦੇਵਾਂਡ ਰੇ ਹਰਦੀ ਲੇਖ ਅਥਾਧ ਦੀ ਗਣਸਾ  
ਮੇਂ ਕਿਥਨੋਂ ਕੇ ਜਨਗੀਤ ਗੀਆਇਗੀ ।
  2. ਰੇਖੀ ਲੇਖ ਅਵੀਕ ਦੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਤੀ ਅਨ੍ਯ ਲੇਖ ਅਥਾਧ ਸੇਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ  
ਵੈਲਨਮਾਨ ਲੇਖ ਨੇ ਨਿਅਮੀਤ ਗੈਗੁਵਿਤੁ ਤੇ ਪਾਂਦੇ ਪੀਨ੍ਹੀਓਂ ਹਰ ਗਵਾਧੀਪ ਫੀ ਗਣਸਾ ਘਾਨਿਤ  
ਬੈਲਨਮਾਨ ਦੀ ਲੀਵੀਥੂਹੀ ਕੇਂਤੁ ਸਾਂਵਾਂਜ਼ਾਂਹੀ ਛੀਗੀ ।
  3. ਇਹੀ ਨਿਅਮੀਤ ਕੋਈ ਅਣੀਧ ਪਿਲ੍ਹੇ ਲਿਕ ਹੁਲਾ ਅਪਿਆਰੀ ਟਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਥਾਧ ਨਿਅਮੀਤ  
ਤ੍ਰਿਵੂਹ ਪੈਂਥ ਹੋ ਏ ਹੋ ਏ ਪਹਿਨਿਤ ਬੈਲਨਮਾਨ ਤ੍ਰਿਵੂਹ ਕੇਂਤੁ ਨਿਹਾਂਗ ਲੇਖ ਅਥਾਧ ਦੀ  
ਗਣਸਾ ਏ ਪ੍ਰਦੀਪਜਨਾਂਦੀ ਹੀਅਮੀਤ ਪਿਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
  4. ਅਨ੍ਯ ਪੱਲੀ ਫੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੀ ਬੁਨਾਵਿਤੀ ਦੀ ਗੁਣਾਵਿਤੀ ਜੇਕਰੇ ਜਿਥ ਪਿਛੀ ਬੁਨਾਵਿਤ  
ਅਕਗਾਲ ਲ੍ਹਾਂਕੁ ਤ੍ਰਿਵੀਤ ਦੀ ਲੇਖ ਗਦਾ ਕੇ ਹਥ ਲੇਖ ਮੈਂ ਬੁਧਾਨ ਬਾਨਾ ਗਦਾ ਹੈ ਉਹੋ  
ਪਹਿਨਿਤ ਬੈਲਨਮਾਨ ਰਾਹੀਂਤ ਹੁਕੂ ਲੇਖ ਅਧੀਪ ਦਾ ਗਣਸਾ ਮੈਂ ਬੌਨਾਵਿਤ ਨਈੀ ਪਿਲਾ  
ਯਾਦੇਗਾ ।
  5. ਨਿਤ ਹੁਕੂ ਯਾਦ ਜੋ ਜ਼ਿਨ ਅਪਿਆਰੀ ਟਾਰਾ ਅਧੀਪਕਾਨ ਲੇਖ ਕੇ ਹਥ ਮੈਂ ਸਾਨਾ ਆਨੇ  
ਪਰ ਹੀ ਰੇਹੀ ਅਧੀਪ ਜੋ ਵਾਨਿਤੀ ਬੈਲਨਮਾਨ ਤ੍ਰਿਵੂਹ ਦੀ ਲੇਖ ਕੇਂਤੁ ਲੇਖ ਅਧੀਪ ਫੀ ਗਣਸਾ  
ਮੈਂ ਹੀਅਮੀਤ ਲੇਖ ਗਾਇਆ ਅਨ੍ਯਥਾ ਨਹੀਂ ।
  6. ਚਾਹਾਂਤ ਵਿਧੀ ਏ ਹੁਲ ਮੈਂ ਰੋਧਾਸੂਫ ਜਾਨ ਮੈਂ ਅਧੀਪ ਰੋ ਜਿਲਾਜ਼ਰ ਲੇਖ ਸਹੀ ਸਾਨੇ  
ਹੁਕੂ ਪਹਿਨਿਤ ਬੈਲਨਮਾਨ ਕੇਂਤੁ ਲੇਖ ਅਧੀਪ ਫੀ ਗਣਸਾ ਮੈਂ ਹੀਅਮੀਤ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਯਾਖੀਗਾ  
ਰੇਤੀ ਤਾਜ਼ਤ ਲੇਖ ਅਧੀਪ ਜਿਹੋ ਪਿਤੀ ਅਧੀਥਾਰੀ ਨੇ ਜਿਅਮ ਲੇਖ ਮੈਂ ਰਾਹੋਂ ਹੁਕੂ ਨਿਗਮ ਏ  
ਅਨ੍ਯਕ ਦ੍ਰਿੰਦੀ ਵਾਰ੍ਦੀਕੁ ਪਿਤੀ ਬੁਗਰ ਤਾ ਜੀ ਵੀਅ ਲਾਮ ਪ੍ਰਾਕ ਪਿਲਾ ਹੈ ਤੋ ਉਸ ਅਧੀਪ  
ਦੀ ਪਹਿਨਿਤ ਬੈਲਨਮਾਨ ਟਿਕੋਵੂਹੀ ਕੇਂਤੁ ਲੇਖ ਮਵਦੇਂ। ਫੀ ਗਣਸਾ ਮੈਂ ਸੀਮੀਗਾਲਤ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ  
ਯਾਦੇਗਾ ।

प्रांत-पर्याप्ति/विभाग/क्रम/संख्या:

विष्णुवीष्टि सलाहार

१५८०-२६९-१६

ਪ੍ਰਤਿਗਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਜੇ ਆਕਸਿਜਨ ਲਾਪਣਾ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ

କୁଳାଳ ନିମ୍ନ ତା କୁଳାଳ ରା ଶାଖାଦର ଲୋହା

२: लकड़ी का बोरो विकल्प है। इसकी जगह लकड़ी का बोरो विकल्प है।

२. क्षमता विद्यार्थी के लिए अवधि १० वर्ष, राजदान ५

३. सार्व शुद्ध उत्पादन/विप्रयोग प्रबन्ध, राष्ट्रीय, ——

का लाला गुहर्य पृष्ठ चर्प/प्रयत्नपृष्ठ लिखा, रापीन।

५. रहायप लेखा प्रियारा अत्तारा दुष्टा रापनि

१३ वस्त्रीभासु भवेत् प्राप्तिः ।

६३ दृष्टि विषय आवश्यक प्राप्ति

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାମ୍ବଦୀ

13

12

-21-

17

— 2 —

ରାଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ପାରିଦ୍ଧିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ପାରିଦ୍ଧିନ କାର୍ଯ୍ୟ

עטף מודפס ערך/מילון/77/ 1.18.00

1970-03-07

कामदेवः अस्मिन् ४

四百一十一

ਫਿਰ ਸਾਥੀਓਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵਾ । 142/72-ਪੜ/ਨੈਹਾ/ਦੇਖਾ/96/6997  
ਦਿਨ: 26/9/96 ਦਾਰਾ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਧਰਤ ਮੈਟਾਲਾਕ ਰਥੀਪੁਰੀ ਦੇ ਮੁਹੱਿਮਕਾਰੀ ਦੇਖਾ ਗਏ ਹਨ।  
ਫਿਰ ਮੈਟਾਲਾਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗੇ।

ਜੇ ਹਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗ੍ਰਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।

Presented  
Mr. Miller, 376  
9-1-04

સુરત દેશ વિજા

Digitized by srujanika@gmail.com

કુલાંક-૪૨૭૭૨૯ ટ્રિપા/ગીતા/૧૮/ ૫૮૦૦

प्राप्ति-प्रिया- जिन से पूरावं एवं आपला शास्त्रीय लोक गीत है-

- १- भारतीय संस्कृत विद्या, राष्ट्रवाचनीयता गिरण जनापद
  - २- भारतीय शास्त्रज्ञानी पुस्तकों की राष्ट्रवाचनीयता वर्णन
  - ३- भारतीय भाषा उत्तराधिकारी/मिथिलाधिकारी पुस्तक राष्ट्रवाचनीयता वर्णन
  - ४- भारतीय पुस्तक पुस्तक/प्रेसलिटरी /प्रिमियरप्रेस राष्ट्रवाचनीयता वर्णन
  - ५- भारतीय लेखक/भिक्षारी/प्रेस वाचनीयता, राष्ट्रवाचनीयता वर्णन
  - ६- राष्ट्रीय प्रशासनीय/आधिकारीक घटनाक्रम

卷之三

2003-05-01 04:27:06 888888/888888

१०  
४८  
२८९७

राजस्थान राज्य सभा विधान मिशन, अमृतपुर

क्रमांक- लक्ष्मी ५४६ ३७२ ए० विधा/निधा/९८/ १०३

तिथि:- ०.१.९

विधायक

क्र. १३३४

इह विधायक के आदेत संखा ए० २६७२८ विधा/निधा/९६/६९९।  
तिथि २६/९/९६ के दिन हाँस्या ३ बैंगड़ राज्य विधा घटा था जिस परिवर्तन  
पान के प्रयोगनार्थ देश गवाही को गणना होता है। ऐसी निधनित सेपा गवाही जिसे  
सभा अधिकारी द्वारा अवैतनिक अवज्ञा लीकूल दिये गये हैं उसे एवनित घोषित करना चाहिए।  
अतीकृत हेतु विधायित देश गवाही को गणना के प्रयोगनार्थ लैभरेटरी दिया जाए।

प्राप्त: इह हेतु गो आदा है जिस पूर्ण हजारीपाँच द्वारा जो विधायक  
को विधायित केतवान जो सास उत्तर आदेत के अनुसर ही दिया जा रहा है  
जल्दी का हजारीपाँच द्वारा इस भाग अवैतनिक अवज्ञा के विवरों के दरावर दिनों  
जो आगे विस्तृत भर दिया जा रहा है तथा पूर्ण हजारीपाँच द्वारा उत्तर आदेत जो  
के अन्तर्गत विधायित घोषित का नाम तो दिया जा रहा है, परन्तु कर्मसारिद्वयों के  
दबाया घेत जो भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

आप: लम्ता हजारीपाँच द्वारा जो पूनः निर्देशित दिया जाता है  
तथा अधिकारी द्वारा किनी कर्मचारी की अवैतनिक अवज्ञा लीकूल दिये जाने  
स्थिति में ऐसी लम्ता गवाही को दिया किनी निर्धारित तीव्रा होती है। उसके विधियाँ  
कागार्लय आदेत के अनुसरण में विधायित केतवान के प्रयोगनार्थ हेतु गवाही को र  
हेतु विधायित सेपा गवाही में राज्यसभा दिया जावेगा। तथा अधिकारी को ताजा  
ताप्रतीक्षा होना।

पूर्ण हजारीपाँच  
विधायक, गाहजार

क्रमांक- लक्ष्मी ३७२ विधा/निधा/९८/ १०३

तिथि:- ०.१.९.

प्रतिलिपि- विभ को सूचनार्थ एवं आदायक कार्यालयों हेतु प्रेरित, जू. जू.

१. लम्ता विधायित, राज्यसभा, गुरुग्राम, जू. जू.

२. भ्रत उप्राधा प्रबन्धक। ३. खार्डिगारी प्रबन्धक, रापनि, जू. जू.

४. लम्ता मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेहापिकारी रापनि

५. लम्ता मुख्य प्रबन्धक/पृष्ठालेहापिकारी रापनि ००

६. लम्ता लेहापिकारी भुगतान/इजट रापनि, गुरुग्रामपञ्चपुर

७. लम्ता आदेत पत्राकली।

उप्र महा प्रबन्धक दित्तक

(2) 19

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT  
CORPORATION, JAIPUR  
Finance (Rules) Department

No. : Accounts Rules 72-A/93-3620

Dated: 7.6.98

Subject: Prescription of selection grades for employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades consequent upon revision of pay scales of Corporation employees from 1.9.1996

In a view to providing relief to the employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts, three selection grades on completion of service nine, eighteen and twenty seven years were prescribed vide this office Order No. 11/Accounts/Rules/93-2971 Dated 27.4.93. This order was amended from time to time. Consequent upon revision of pay scale of the Corporation employees from 1.9.1996 under Revised Pay Scales Regulations, 1998, the matter has been considered and in supersession of all orders issued in this regard in the past, the Corporation employees of the categories mentioned hereunder and who are drawing pay in the pay scale prescribed under the Revised Pay Scales Regulations, 1998 may be granted Selection Grades as indicated below:-

- (i) This order shall be applicable to all Corporation employees in Class-IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding isolated posts and drawing pay in Revised Pay Scales, 1998 the maximum of which does not exceed Rs. 10,500/- This order shall not apply to those Corporation employees who have got selection grades equivalent to the pay scales of the lowest post of Corporation Service to which they are eligible for promotion or selection grade of 8000-13500 whichever is lower in terms of this order.
  - (ii) The first selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of nine years provided that the employee has not got one promotion earlier as is available in his existing cadre.
  - (iii) The second selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of eighteen years, provided that the employee had not got two promotions earlier as might be available in his existing cadre and the first selection grade granted to him was lower than the pay scale of the lowest post of Corporation Service to which he is eligible for promotion or selection grade of 8000-13500 whichever is lower.

- 21 21  
30 20
- (iii) The third selection grade shall be granted from the day following the day on which one completes service of twenty seven years, provided that the employee has not got three promotions earlier as might be available in his existing cadre and the first or the second selection grade granted to him, as the case may be, was lower than the pay scale of the lowest post of Corporation Service to which he is eligible for promotion or selection grade of 6000-13500 whichever is lower.
3. The service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted from the date of first regular appointment in the existing cadre/service in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment regulations. The period during which a Corporation employee remained/remains on extra ordinary leave with or without medical certificate shall also be counted reckoning the period of service for grant of selection grade. Only conditions as per order No. F.2(73A)/Accts./Rules/99/8937 dated 26.9.95, order No. 4800 dated 9.5.97 and order no. 1315 dated 16.2.95 will remain unchanged.  
Provided that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, as a result of direct recruitment, is appointed to some other post in the same cadre or other cadre, service from the date of later appointment shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.  
Provided further that if an employee subsequent to his first appointment to a post in a cadre/service, in accordance with provisions contained in the relevant recruitment rules is promoted to a post in some other cadre, then in such a case service from the date of promotion shall be taken into consideration for the purpose of grant of selection grade.  
Provided also that in case of an employee who has been/is declared surplus and absorbed against a new post either in the same or another department excluding absorption on higher post, the service of nine, eighteen or twenty seven years, as the case may be, shall be counted for the purpose of grant of selection Grade from the date of initial regular appointment in the service in accordance with the provisions contained in the relevant recruitment regulations.  
As a result of counting of service rendered prior to absorption for grant of selection grade, if the pay of a junior Corp. employee happens to be more than the pay of his senior no stepping up of pay of senior Corporation employee shall be permissible.
4. (i) The first selection grade, wherever admissible in terms of this order shall be the pay scale of the next promotion post in the same service/cadre i.e. Class-IV/Ministerial/Subordinate Service, provided that in case there is no next promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the first selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale(pay scale of the post held) as specified in paragraph 3.

(23)

22-  
3721  
3757

- (4) The second selection grade, wherever admissible, in terms of this order, shall be the pay scale of the second promotion post available to that employee in the same service/cadre provided that in case the second promotion Post available in the same Service/Cadre carries a pay scale higher than the pay scale of 8000-13500(13) or there is no second promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications, prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the second selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in the paragraph 5.
- (5) The third selection grade wherever admissible in terms of this order, shall be the pay scale of the third promotion post available to that employee in the same service/cadre, provided that in case the third promotion post available in the same service/cadre carries a pay scale higher than the pay scale of 8000-13500(13) or there is no third promotion post in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the third selection grade shall be the pay scale corresponding to his existing pay scale (pay scale of the post held or the selection grade), as specified in paragraph 5.
5. In case there is no post for first, second or third promotion, as the case may be, in the same service/cadre or the employee does not possess academic qualifications prescribed for promotion and in respect of the isolated posts, the selection grades shall be as specified below:-

S. No.	Name of the post	Pay Scale	Selection Scale		
			I	II	III
1.	From: Chained, Chain, Garter, Sash, etc.	2500-3200	2510-3540	1800-4000	2750-4400
	-(In Gr. II) (Non LT.)	2500-4700	2750-4400	3000-4500	4000-6000
	(For LT.)	2100-4475	3000-4500	3400-5200	5000-8000
2.	Security Guard	2750-4400	3000-4500	4000-6000	5000-8000
3.	Marty (Civil)	2810-4475	3200-4900	4000-6000	5000-8000
5.	Lowa: Dev. Clerk, Telephone/Teletypewriter Operator, Receptionist, Booking Clerk, Concourse Attendant	3100-4900	4000-6000	5000-8000	5500-9000
6.	Arman Gr. I, Driver	3200-4900	3400-5200	3300-6000	5000-9000
7.	Chairman, Arman Gr. I, Surveyor (Civil)	3400-5200	5000-6000	5500-9000	5500-10500
8.	Store Sub Inspector, Computer, Draughtsman, Assistant Traffic Inspector	4000-6000	5000-6000	5500-9000	5500-10500
9.	Stenographer, Jr. Accountant, Legal Assistant, Traffic Inspector, Jr. Engineer (Gr. B)	5000-9000	5500-9000	6500-10500 (*)	
10.	Overhead/JEN (D.V.I)	5000-9000	6500-10500 (*)		(*)
11.	JEN (Gr. A)	6500-10500 (*)		(*)	-
12.	Driver	3050-4150	3400-5200	5000-6000	5500-9000

(7) Master regarding relating Selection Grades is being sent to S.P.E. for approval.

- 24
- 25
- 22
- 6. The appointing authority for the post held by the employee shall be competent to grant Selection Grade in respect of categories of posts where seniority is maintained by an authority senior to the appointing authority such senior authority shall be competent to grant Selection Grade.
  - 7. Selection Grades in terms of this order shall be granted only to those employees whose record of service is satisfactory. The record of service which makes one eligible for promotion on the basis of seniority shall be considered to be satisfactory for the purpose of grant of the Selection Grade.
  - 8. Notwithstanding anything contained in the foregoing paragraphs, if an employee has forgone orgoes promotion or seeks reversion, he shall not be granted first, second or third Selection Grade under this order. In cases where a Corporation employee who is drawing pay in second or third selection grade if on his actual promotion to second/third promotion post forgoes the promotion, the benefits of second and third selection grades, as the case may be, shall be withdrawn from the date he forgoes the promotion. The pay of such an employee shall be released either in pay scale of the first promotion post or in the first selection grade or in pay scale of second promotion post. At the stage he would have drawn had he not been granted second and third selection grade(s), as the case may be.
  - 9. Grant of Selection Grade shall not affect the seniority in the cadre nor the sanctioned strength of each category of posts in the cadre.
  - 10. When a Corporation employee is granted first, second or third Selection Grade, as the case may be, his initial pay in the Selection Grade shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by increasing the pay being drawn by him in the existing pay scale (pay scale of the post held or the Selection Grade) by the one increment. In cases where an employee is drawing pay at the maximum of the pay scale of the post or the selection grade his pay shall be fixed at the stage next above the pay notionally arrived at by adding an amount equivalent to the last increment. If Selection Grade is granted to an employee with effect from the date on which he earns increment, pay in the Selection Grade will be fixed with reference to the pay admissible in the existing pay scale including the increment.
  - 11. The next increment in the Selection Grade shall be granted to an employee on the date he would have drawn his increment had he not been granted the Selection Grade, provided that where the pay is fixed at the minimum of the Selection Grade and the pay so fixed is more than the pay drawn in the existing pay scale by an amount equal to the amount of the next increment in the existing pay scale plus the amount of first increment in the Selection Grade, the next increment shall be admissible after completion of service for the full incremental period of one year.
  - 12. In case of an employee who gets his regular promotion after getting the Selection Grade (identical to or lower than the pay scale of the promotion post), his pay shall be fixed in accordance with the provisions contained in Note 4 of Rule 35A of RSRTC employees Service Regulations.

- 205  
214  
~~22~~ 23  
57
3. In case of Corporation employees drawing pay in selection grade of pay granted under this office order no. F.4(72-A)/Accts/Rules/93/2971 dated 27.4.93 and amended from time to time, the revised selection grades under Regulation 8(1)(c) Revised Pay Scales, 1998 are the corresponding pay scale as indicated in Part A of Schedule appended to Revised Pay Scales, 1998. If the existing selection grade revised as above is lower than the selection grade admissible under this order, the selection grade admissible under this order shall be applicable in such a case pay shall be revised with effect from 1.9.1996 in the selection grade as per this order at the equal stage and if there is no equal stage than at the next above stage. In other cases where the existing selection grade revised under Rule 6(ii) of Revised Pay Scales, 1998 is higher than the selection grade admissible under this order then that selection grade shall be applicable as personal to the existing incumbent however, the next selection grade shall be admissible as per the provisions of this order.  
This order shall come into force with effect from 1.9.1996. No arrear shall accrue to Corporation employee who have been granted selection grades under these orders between 1.9.1996 to 31.12.1996 (both days inclusive) for the period upto 31.12.1995.

205  
(UMESH KUMAR)


Managing Director

No. F.4(Accnts/Rules/72-A/93/3620

Dated: 7.5.98

Copy to the following for information and r/r:

1. Dy. Secy Transport Deptt. Sectt. Jpr/OSD, B.P.E. Sectt., Jaipur.
2. All Head of the Department, RSRTC, Jaipur.
3. The General Manager (.....), RSRTC, Jaipur.
4. Dy. General Manager/Executive Manager (.....), RSRTC, Jaipur.
5. The Chief Disposal Manager/Chief Production Manager, Central Workshop, RSRTC.
6. The Accounts Officer, RSRTC, .....
7. The Chief Manager/Manager (Accnts.)/(Adm.)/(Tr.)/(Op.), RSRTC, .....
8. The Asstt. Accounts Officer (Pay.), (Budget/Fix)RSRTC, HQ, Jaipur.
9. P. S. to Chairman/Managing Director, RSRTC, Jaipur.

  
(P. R. SHARMA)

Financial Advisor

OFFICE ORDER

Sub:- Prescription of Selection Grades for Employees in Class IV, Ministerial and Subordinate Services and those holding Isolated posts and Fixation of pay in Selection Grades.

In Continuation to this Office order No.F2(72-A)/  
Accts/Rules/93/2971 Dated 27.4.93, the following posts are  
further inserted in Appendix-'A':-

S.N. Name of Post	Pay Scale	Selection Scale		
		I	II	III
1. Labour Welfare Inspector	(RNPA 989) 1400-2600 (RNPA 1998) 5000-8000	1540-2900 5500-9000	2000-3200 6500-10500	2000-3500 (*)

(\*) Matter regarding relating Selection Grades is being sent to B.P.S. for approval.

The grant of Selection Scale would be subject to the following terms and conditions:-

- a) The selection scales are applicable only for the posts which are filled in by direct recruitment as per service regulations of the Corporation. In case of posts which are also filled in by promotion, the promotees on the posts would be entitled for Selection Scales prescribed for the posts to which they were initially recruited.
- b) The terms and conditions for grant of Selection Scales as stipulated in this Office order No. F2/(72-A) Accts/Rules/93/2971 Dated 27.4.93, amended from time to time would be apply. This bears approval of the B.P.S. vide their letter No. F2(34)/BPS/90/ pt.II/1055 dated 21.4.98.

*A.P.J.W.*  
( P.K. Sharma )  
Financial Advisor


(27)

( 2 )

No. F2/Accounts/Rules/13(72-73)/93/ 4290 Dated 29-5-93

Copy forwarded to the following for information and a/c:-

1. Officer on Spcl.Duty,S.P.Z. Govt. of Raj.,Jaipur.
2. Heads of Department,RRTC,Jaipur.
3. All General Manager's,RRTC,Jaipur.
4. All Dy.General Managers/Ex.Managers,RRTC,.....
5. All Chief Production Manager/A.O.,RRTC,.....
6. All Chief Manager/Manager (Accounts./sp./Tz.),K.....,Depot.
7. Resident Audit Officer ,RRTC,Jaipur.
8. Registrar/RAO RRTC,Jaipur.
9. P.M. to Chairman/M.D.,RRTC,Jaipur.
10. Sr.P.A. to P.A.,RRTC,Jaipur,
11. Order/Guard File.

  
M.L. Gupta

Dy. General Manager (Finance )

ରୋଗାରୀତି କାହିଁ କଥା ପାଇଯାଇଲେନ ଦିନାମା, ଅଧ୍ୟାତ୍ମ

28

562

179 13-5785/1981/3172-1195/ 5000

दिनांक: १०.७.१९८८

સુરત ફેલ્ડ - ૩૦૨૪૫૭

लोकाव रूपपारियाँ तो खालीनम हेतनयान बा.जाम देने हेतु जारी आदेश  
होटा:खप । ७३-सरिया/निया/१३/२७१। दिनांक २७-१-१३ के संलग्न डी.गड  
चारणी ते.। ५ के अनुसार घराती, धाकीदार, अद्धति, गार्नि रवै स्थीपर पद  
ए पथ्य एवंनित षेतनमान "775-१२-४३५-१४-१०५-१५-१०२५" हेतीवत छिया  
पद था जटाइ राज्य सरकार आरा जारी अधिकृपता संख्या: २०१३-४३५-१५-१०२५  
१७ दिनांक ३-१-१४९ के अनुसार यह षेतनयान "775-१३-४४०-१५-१००५-२०-१०२५"  
के स्वरूप हेतु राज्योभास छिया वा फ्रा था। अतः राज्य सरकार आरा उपरोक्त  
संदर्भम अधिकृपता के लूप वै इन रूपपारियाँ तो देह पथ्य घटनित षेतनयान "775-१३-  
४४०-१५-१००५-२०-१०२५" प्रैतत्त्वापित छिया जाता है। यह षेतनमान दिनांक  
२५-१-१२ के राम होगा।

१ दीक्षार्थी २०८८  
१ एमी-आर-एसार्फ १  
प्रौद्योगिकीय संशोधनार

क्रमांक: ४२५६८/वडा/१७-११/१३/ ५९९६ दिनांक: १०.७.९८.

इसी दृष्टिकोण से उनका विचार करें।

• दार्शनिको निवेदित प्रश्नालै प्रतीयालै, रामलै, मुकुलर्य, जगदुर ।

॥ ताप्तीन्, मुहूर्लाला, छप्पुर ।

५० ने १३ एवं अक्षयतारात्रि, गोपा ।, रामेन, मुख्यतारात्रि, जापुर

କାନ୍ତିର ପାଦମଣି ପାଦମଣି ପାଦମଣି

३. डॉ. उमा शर्मा पर्सनल एडवाइजरी, राजस्थान,

6. ग्रन्थ यह जटि/पद नहुं होता/धारन/तंदारन), ——————

२५ रुद्रिष्टार/ तदाप्य लेखापितारी॥ ११, तापोने, गुड्हपालीप, जटपुर ।

iii. नियमी धौपद-अध्यात्मसंघचे निदेशक, गापान, मुख्यालय, जिंपुर।

७. देवेश राजा क्षेत्र-पश्चिम क्षेत्र छोर, रायगढ़, अद्वालय, गुरु

10. रीढ़त पदा कला ।

प्रथम भाग

ହେ ମହା ପରମାତ୍ମା

29

57  
26

(4) - GOVERNMENT OF INDIA, DELHI, 29. 1. 1982

111(283)

## TABLE No. 2

Old Pay Scale (No. 2) T10+10+50+10+910

Revised Pay Scale (No. 2) T75+12+835+14+900+15+1020

Stages in "Revision Benefit" Pre-fixation of Stages at which  
 Existing pay scale is increased by 12% and emoluments & pay is to be fixed  
 per month in the revised pay scale.

1	2	3	4
500	500	700	775
505	505	770	775
510	510	780	787
740	50	790	799
750	50	800	811
755	50	810	811
770	50	820	823
780	50	830	835
790	50	840	849
800	50	850	855
810	50	860	863
820	50	870	877
830	50	880	891
840	50.40	890.40	891
850	51.80	901.80	905
860	52.80	912.80	916
870	53.70	923.70	925
880	54.60	934.60	939
890	54.60	946.00	949

३०

-४५-

२७

राजस्थान राजप संघ वरिष्ठन निगम, मुम्पालम, जयपुर

१६८  
क्रमांक/लाइन/दि. ८/९९/

४३९

दिनांक:- ३०.८.९९

राजस्थान-आदेश  
संख्या ४३९

प्राप्त: हेता हेते में आपा है। निगम अधिकारियों के लेखाता है कि उन्होंने नियमित दोनों पट भी उन्हें ९, १८ एवं २७ अक्टूबर की तेजा द्वारा दोनों पट प्रतित वेतनमान वा लाम दिया जा रहा है, यद्यपि अनुपस्थिति द्वारा वे तेजा में दृष्टिपान माना जाता है।

इसी प्रकार हुठ अनुपस्थिति के भास्त्रों में आरोप-पत्र जारी रखे हुए हैं। इन्हें अनुपस्थिति प्रतिपि को लाभ वापिसाहो प्रदाता वारित नियमितवार नियमितदरते हैं प्रथम ६०, ९, १८ एवं २७ अक्टूबर की तेजा पर दो लामित वेतनमान वा लाम दिया जाना चाहिए।

जल्द: तमसा अधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि ९, १८ एवं २७ अक्टूबर की तेजा पट प्रतित वेतनमान देने हेतु पहले अनुपस्थिति द्वारा को नियमित किया जाए, इतके बाद वे प्रतित वेतनमान देने की वापिसाही जाए।

प्रधान निदेश

क्रमांक/लाइन/दि. ८/९९/४३९

दिनांक:- ३०.८.९९

५. नियमित वेतनमान वा लाम द्वारा देने हेतु प्रेरित है:-

१. तमसा विभागाध्यक्ष..... राजस्थान वरिष्ठन निगम, जयपुर
२. तमसा द्वारा प्रबन्धक..... /मुम्पाल महाप्रबन्धक..... १०.१० प.परि. अधिकारी प्रबन्धक, ~~मुम्पाल~~..... राजस्थान वरिष्ठन निगम, जयपुर
३. विवाहित प्रधान/लेपार्सिला, राजस्थान वरिष्ठन निगम, .....
४. मुम्पाल/मुम्पाल विभाग/प्राराजिक विभाग वरिष्ठन निगम, .....
५. विवाहित महावसी ।

वापिसाही निदेश (पुस्तकालय)

(31)

29

RSRTC STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,  
JAIPUR.

( ACCOUNTS ( RULES ) DEPARTMENT

No. F.4(13)/Accts/Rules/154/30/ 10/41

Dated 24-10-2000

OFFICER ORDER.

The Corporation Board vide its resolution No. 35/2000 has been pleased to order that the personal pay granted under regulation 11 (1) (a) (iii) of the RSRTC Employees (Revised Pay Scales) Regulations, 1990 shall be treated as basic pay for the purpose of fixation of pay in the pay scale of the higher post in the regular line or the Selection Grade.

This order shall not be applicable to personal pay granted in terms of provisions of other regulations/orders. In such cases treatment to the personal pay shall be given as provided in regulation concerned of the RSRTC Employees Service Regulations, 1995.

This order shall be effective from 1.9.95. However, Cash payment shall be made from the date of issue of this order.

C:\WIND\2410

FINANCIAL ADVISOR.

No. F.4(137/Accts/Rules/154/30/ 10/41) Dated 24-10-2000  
Copy forwarded to the following for information and r/c :-

1. The Executive Director ( ), RSRTC, Jaipur.
2. The General Manager( )/Jt. General Manager( ), RSRTC, Jpr.
3. The Dy. General Manager/Executive Manager( ), RSRTC, Jpr.
4. The Secretary to the Corpn./Registrar, RSRTC, Jpr.
5. The Chief Prod. Manager/Accounts Officer, RSRTC,
6. P.S. to Chairman/Managing Director, RSRTC, Jaipur.
7. The Chief Manager/Manager ( ), RSRTC,
8. The Resident Audit Officer, RSRTC, Jaipur.
9. Sr. P.A. to Financial Advisor, RSRTC, HO, Jaipur.
10. The Asstt. Accounts Officer ( ), RSRTC, Jaipur.
11. Office/Guard file.

C:\WIND\2410

DY. GENERAL MANAGER  
(FINANCE)

राजस्थान राज्य पर्यावरण विभाग, जयपुर


प्राप्ति-एका. १३१/तेषा/नियम/१६५/०१/३२६२

दिनांक:-/४-३-२००१

### परिप्रे

इह दस्तावेज़ कार्यालयों से इह सन्देश प्राप्त हो रहे हैं कि जोन एक्स्प्रेस ट्रेन आईज़ ट्रेन ।। को मुख्यमानित केन्द्रसभा, १९९० में पर्यावरण फैलाव के लिए दीन ती लेकर खूबज्ञा प्रश्नान की जाए।

इस मामले का परिचय इस तरह सन्देश के नियारण ।। १. एक्स्प्रेस निर्देशित दिया जाता है कि ऐसे नीन आई.टी.आई आईज़ ट्रेन ।। यिन्होने युनिटीज़ फैलावान १९९८ अप्रूने के बाद भी १० वर्ष बा व्याकाल पूर्ण नहीं किया है तथा जो २६५०-६५-३३००-७०-४००० ली क्षेत्रफूला उपर तो रहे हैं उन्हें ९ वर्ष बा तेवाकाल पूर्ण जाने पर २७५०-७०-३९००-७५-४०० एवं १० वर्ष वैकाल दिया जातेगा वहन्तु हजारों पार्श्वान ज्यों ही इनके द्वारा १२ कर्ण बा तेवाकाल पूर्ण कर दिया जायेगा। इन्हें ३०५०-७५-३९५०-८०-४५५१ ली क्षेत्रफूला में परिवर्तित कर दिया जायेता है ।८ लर्ड ले तेवाकाल १८ ३४००-९०-५२०० तथा २७ कर्ड ले तेवाकाल पर ५०००-१५०-८००० फा पर्यावरण नियम दिया जाए।

  
वित्तीय रत्नालकार

प्राप्ति-एका. १३१/तेषा/नियम/१६५/०१/३२६२

दिनांक:-/४-३-२००१

नियमिति:- नियम जो नियन्त्रण स्थे अधिक जार्यवाही होता:-

- १- जार्यगाही नियेशाक ॥ राजस्थान परिवर्तन निगम, जयपुर
- २- महा प्रृष्ठपक ॥ /तेष्वक्त महा प्रृष्ठपक ॥ राजस्थान परिवर्तन निगम, जयपुर
- ३- उप महा प्रृष्ठपक ॥ /जार्यगाही प्रृष्ठपक ॥ राजस्थान परिवर्तन निगम, जयपुर
- ४- सर्विक-नियम/एकित्तार, रा०५० नियम जयपुर
- ५- सर्व उत्पादन प्रृष्ठपक/तेषापिकारी, केंद्र लार्यशाला, रा०५०नि०
- ६- सुंदर प्रृष्ठपक/प्रृष्ठपक ॥ रा०५०नि०
- ७- नियी सर्विक-अध्यक्ष/प्रृष्ठपक नियेशाक, रा०५०नि० जयपुर
- ८- व० नियी सहायक - वित्तीय रत्नालकार, रा०५०नि० जयपुर
- ९- स० नियापिकारी ॥ रा०५०नि० जयपुर
- १०- गाँड दाहिन ।

  
उमेश प्रबहत/वित्तीय

66 28  
33

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,  
JAIPUR.

(Finance (Rules) Department)

No.F.4(13)/Accts/Rules/72-A/2000/ 7645 Dated 11.8.2000

OFFICE ORDER

Subject: Prescription of Selection Grades for employees in Class IV, Ministerial and Sub-ordinate Services and those holding isolated posts and fixation of pay in Selection Grades consequent upon revision of pay scales of Corporation employees from 1.9.1996.

iii


The first, second and third selection grades (according to related posts) of the posts as indicated at serial No. 9, 10 and 11 of the table exhibited at point No. 5 of this Office Order No. F.4/Accts/Rules/72-A/98/3620 dated 7.5.1998 and the relevant part of this office order No. F.4/Accts/Rules/13/72-A/98/4298 dated 29.5.1998 were \* marked.

In compliance with the Board's resolution No. 29/2000 and BPE letter No. F.2(34)/BPE/90/T.I./689 dated 12.7.99, the first, second and third selection grades of the posts \* marked as mentioned above will be as follows :-

Name of Posts	Pay Scale	Selection Scale		
		I	II	III
Stenographer,Jr.	5000-	5500-	6500-	8000-
Accountant, Legal Asstt.	8000	9000	10500	13500
Traffic Inspector				
Jr. Engineer(Gr.B), and				
Labour Welfare Inspector				
Overseer/Jr. Eng.(Civil)	5000- 8000	6500- 10500	8000- 13500	-
Jr. Eng. (Gr.A)	6500- 10500	8000- 13500	-	-

This order shall come into force with effect from 1.9.1996. No arrear shall accrue to Corporation Employees who have been granted selection grades under this order between 1.9.1996 to 31.12.1996 (both days are inclusive) for the period upto 31.12.1996.

The terms and conditions for grant of selection scales as stipulated in this Office Order No. F.4/Accts/Rules/72-A/98/3620 dated 7.5.1998 and order No. F.4/Accts/Rules/13/72-A/98/4298 dated 29.5.1998 would apply.

  
V.L. SHARMA  
FINANCIAL ADVISOR,

Contd. ....2.

24  
RJASHTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION,  
JAIPUR.

5200

No. F.4(12)/Recd./Rules/72-A/2001/ 6731

Dated 16-5-2001

C I C U L A R

Sub:- Grant of selection grade to the surplus employees of other Public Enterprises, absorbed in RSRTC,

1.1:

Some doubts have been raised regarding the relevant date for computation of period of service of 9,18 and 27 years for grant of selection grade to the surplus employees of other Public Enterprises, absorbed in RSRTC.

After consultation with BPA and examination of the issued in depth, it is clarified that the provisions contained in proviso 3, under para 3 of this office order No. F.4/Accts/Rules/72-A/98/3620 dated 7.5.1998 shall be applicable to such employees as referred above and the cases of granting the selection grade shall be decided accordingly.

( V.L. SHARMA )  
FINANCIAL ADVISOR.

No. F.4(12)/Accts/Rules/72-A/2001/ 6731 Dated 16-5-2001

Copy to the following for information and necessary action:-

1. Executive Director ( ), RSRTC, HO, Jaipur.
2. General Manager( )/Lt. General Manager, RSRTC, Jaipur.
3. Dy. General Manager ( )/Executive Manager( ), RSRTC, Jaipur.
4. Secretary to Corporation/Registrar, RSRTC, HO, Jaipur.
5. Chief Prod. Manager/Accounts Officer, RSRTC, \_\_\_\_\_.
6. Chief Manager/Manager(A/Cs)/(Adm.), RSRTC, \_\_\_\_\_.
7. Asstt. Accounts Officer ( ), RSRTC, Jaipur.
8. P.S. to Chairman & Managing Director, RSRTC, Jaipur.
9. Sr. P.A. to Financial Advisor, RSRTC, Jaipur.
10. Order/Guard file.

( B.L. KUMAWAT )  
DY. GENERAL MANAGER..  
(FINANCE).

35

2032

1990-1991: 1991-1992: 1992-1993: 1993-1994:

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 36, No. 4, December 2011  
DOI 10.1215/03616878-36-4 © 2011 by The University of Chicago

କାର୍ତ୍ତିକ-ଗାସ୍ତ

का वार्तालय के अनुदेश द्वाया गया। /गोपीलय, १८८७/१४२

विषय : १५-२-७७ दर्ता ६९८ प्रेसांक । दा. १०-७७ के अन्तर्गत व्यापकीय विवाह  
कानून के समर्थन में विधा-निवेदन प्रसारित किये हुए हैं, उसमें यह प्राप्तवान है कि  
प्रत्येक विश्वी कार्यालय के भला ताता एवं उन विधायकाल में अवधार्य/स्थानीय प्रेल दृष्टि रोले  
आ दृष्टि दिया गया है तो ऐसे लक्षणों की व्यापकता व्यवसाय उत्तरे पर यह जागी  
जिसका दर दिया जानीगा जिसनी साझित वेतन दृष्टिया रखी दृष्टि है।

इस शास्त्रान्वय में पूर्ण शुद्ध-धर्म सही इन्द्र-गणितार्थों के साथ यह अविवाहित पाठ्या जाना चाहा है। यह शब्दनिका व्याख्यान द्वय दिनांक से बाहरी इतिहास की जातेगा अधिका दम्भुकाद्येष्य पारिता भवने की टिकाऊत से ।

आः क्षेत्र राजन्य में यह स्पष्ट लिया जाता है कि धर्मनिवारणकारी दैय द्विनार्थी ते चित्तविकारी द्विन शोन तृतीयों रोधी गई है, इसने ही दर्शकों को अपनाकर दिया जातेगा । ऐसे ही ज्ञानदीर्घी के उन्नतमें युवा व विद्युति, पुराणों का अनुवाद जोख भर्ती दिया जातेगा न ती छोड़ देता उन्होंना । यह अनुवाद विद्युति  
का भा द्विया ।

५८ गोपेश वियानु एवं परिवेश के अनुदेश ने इसी  
लिये आ रहे हैं।

1977-1978

“我真想对你说，你太不尊重人了，你太不懂得礼貌了，你太不懂得尊重别人了。”

திருமூலம் வீர மகார்சன் பிரபுவின் பேரவை

1.2.1. සිංහල මාලාව ප්‍රධාන තිබුණු

१८ वर्षां तक उन्हें बहुतीय विद्या और विज्ञान का सम्पूर्ण अध्ययन होता।

Fig. 2. - FISHES OF THE RIVER GUNNISON, COLORADO.

ପାତ୍ର କିମ୍ବା ଦାନୀ ଯାଇବାକୁ ପରିବହନ କରିବାକୁ ଶାଖା, -----

• 18 •

Digitized by srujanika@gmail.com

THE JOURNAL OF CLIMATE AND APPLIED CLIMATE SCIENCE

Figure 1. The relationship between the number of species and the area of forest cover in each of the 1000 plots.

क्रमांक :- ४५६ || ३ || नेहरा / दिनांक / ७२-३/२००३/८ ४५६

$$\text{F}(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

— 15 —

निगम द्वी तु डकाईयों प्राप्त नांदशाने पाहा गया है जिसने लिपिक पट के अंधारियों से देय 9,18,27 वर्षीय यषति वेतनमान हेतु देया की शपामा निषुक्ति टिनांक ही जावे अप्या उपता/ दंडग पतीका उर्णिण चरने की टिनांक से की जावे?

संदेह के निराफरण देतु यह स्पष्ट फिया जाता है कि वर्णित अन्तर्मानों का लाभ उचित लगने देतु इत पट के भारी नियमों में अन्तविंश्ट उपबन्धों गतों के अन्तर्गत ९, १८, २७/की तेवा वर्तमान तंत्रज्ञतेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि ते गणनीय है। इत प्रकार तेवा शातों के अन्तर्गत दधता /ठंडा परीधा उत्तीर्ण करना अनियाय होने की विधि में तेवा की गणना ऐसी परीधा उत्तीर्ण करने की दिनों में जी जाएगी।

१८८

द्वितीय नलाहकार

मार्गसंख्या:- सदृश्य 13 दिल्ली/निधम/72-ए/2002/469

टिलोंक :- १७-१८०३

तिलिपि निम्न झो तृष्णार्थ एवं अग्रम शब्देवाही हेत :-

१. जार्येकारी निटेक्स ॥ { राज० पर्ट० निगम, जप्पुर ।
  २. मडा प्रैट-धक ॥ { संयुक्त मडा प्रैट-धक ॥ { रा.प.निगम, जप्पुर ।
  ३. उष मडा प्रैट-धक ॥ { कार्यकारी प्रैट-धक ॥ { रा०प०निगम, जप्पुर ।
  ४. सीत- निगम / एरिल्ड्स, राज० पर्ट० निगम, जप्पुर ।
  ५. युवय उत्तराञ्चल प्रैट-धक/सेक्युरिटी एट्रीय जार्येकारी, रा०प०निगम, ——
  ६. युवरा प्रैट-धक/ युव-ए ॥ { राज०प० निगम, —————।
  ७. विवि एक्स-इंजिनीय / प्रैट-धक निटेक्स, राज०प०निगम, जप्पुर ।
  ८. गहायक ऐक्याधिकारी ॥ { रा०प०प० निगम, जप्पुर ।
  ९. अग्रिम निरि गहायक, ऐक्याधिकार, राज०प०प० निगम, जप्पुर ।
  १०. रमित एक्स-की ।

६ दोस्ती इतिहास

37

33

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

जिन्होंने लाभारियों परी १,१८ व २७ दद्दी फीट लेखा पूर्ण घरमे पर चपानेता  
मत्तवान ता गाज देने हेतु प्रतारिया आदेश दिए थे। ३/गुड्या/कार्गिक/प्र.हु./  
२७/ १४३ विनाय १५-२-९७, ज्ञान ५९० विनाय १३-१०-९७ इवं आदेश अस्तोक  
१२ विनाय २४८ २-२०३१ प्रतारिया दिए थे। ऐसे नी विविध गोट/  
गोपीयों ने यह विनाय कर लाये उपर्युक्त बात है विं यहाँ विवरी विवारी  
१-७-९६ के विनाय हे विवरी २८ विवरी विवरी विवरी विवरी विवरी  
विवरी विवरी विवरी विवरी विवरी विवरी विवरी विवरी ।

ਲੋਕੀ ਮੁਸਾ ਵੇਂ ਪਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਕਾਗ਼ਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ  
ਅਤੇ ਲੋਕਾਨ ਵਿਚਿ ਤਾਂ ਲੌਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਲਿਲਾ ਛੇ ਏਥੇ ਤਰਸਾ ਸੈਵਾਕਿਲੇ ਹੀ  
ਲੌਹ ਪੱਥਰ ਲੋਕਾਨ ਵਿਚਿ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਾਰੀ ਲੋਕਾਨਿਆਂ ਲੋਕਾਨ ਨਿਪਾਰਿਜ਼ ਏਥੇ ਲੀਖਿ  
ਕੇ ਆ ਲਿਆ ।

ପ୍ରକାଶକ

Digitized by srujanika@gmail.com

गोपनीयम्/गोपनीयम्/संक्षिप्त/पृष्ठा 10/पृष्ठा 102/37

ਤੁਮੈ ਪਿਛੀ ਬਿਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੂਪਨਾਈ ਦਵੇ ਪਾਕਾਸ਼ ਲਾਈਜਾਣੀ ਹੈ;

१. देवता दिवानाथ्यु - - - - - रापनि, जमुर ।  
 २. देवता महा प्रांग्मा - - - - - रापनि, जमुर ।  
 ३. देवता उप गहात्रःका - - - - - रापनि, जमुर ।  
 ४. देवता मृत्यु उत्पादन प्रांग्मा/मृत्यु प्रांग्मा/प्रांग्मा विद्धा/मृत्यु सन्दर्भरापनि—  
 ५. गदोली भजावली ।

ପାଇଁତାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ

काम्पिक रेत या टीवर निमा, लम्बा

१०८ विजय राजा, बंगलादेश

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED 1/11/02 6771

ਪੰਜਾਬ :-  
31.7.2002

Digitized by srujanika@gmail.com

31,7,200

• 76 •

१८५

शुरूप: नव भेत्ताएँ मेरी जाया है कि जिसी वर्गतारी के लिए लोक्यं विवाही इच्छा बोलतारी जाएँगे तो प्रबुरशा विवाहधीन होने की विधि में फैसे जाएँगे लोह इन्द्रजाल वर्गतारी की देश-पुरिका में भी हो सकता है। अतः आनंदतारी के लोकाव में वर्गतार लक्ष्मीय प्रभनित वेतनमान वापिसि शारा ऐसे वर्गतारी को लगानी वेतनमान खींच दिये जाने की उम्मेदवानी रहती है।

गतः निर्मातुं क्षमार्थं पूजारिणों जो निर्मिति छिया चाहा है वे किसी भी कर्मणार्थी के लिए लिक्कारापीनकिमाग्रीय अधिका फौजदारी जांच पा इन्हें लंगियादों जो देवा पूजिताता हैं छिया जाए तभा वयनित देवतानाम तारिति ही ऐसक में प्रत्यक्ष छिये जाने वाले “गिरण-स्त्र” में । इते आवश्यक सा तो दृष्टिया जाते ।

ਜਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੀਪਾਦਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਗਾ ਜਿਥੇ ਅਪਨਿਤ ਬੈਠਨਾ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਅਪਨਿਤ ਬੈਠਨਾ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਅਪਨਿਤ ਬੈਠਨਾ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਥੇ ਅਪਨਿਤ ਬੈਠਨਾ ਅਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ।

दह रात्रिपत्र छठ कार्यालय हारा वारी आदेश कुरांड एफ-२४७२-ए  
लेगा/नियम/१५/४०२९ तिरंगे २३.६. १९९५ ली तिरन्तरता में घारी दिया गया है।

卷之三

दिल्ली द लालाड़कार

क्रमांक:- एस-५१३/लिगा/दिल्ली/७२-८-१११/०२/६७७१ तिथि:- ३१.७.२००२  
परिविधि:- चिक्की को उच्चार्थ एवं आलयक यार्टलाई हेतु प्रेषित है।

१. निजी राधिय-अप्पा / प्राप्ति निरेश, रारापर्णिमा, जयपुर।
  २. कार्तिकी चिट्ठेश्वरी हृ रारापर्णिमा, जयपुर।
  ३. गदा पूर्ण-पद ॥ / लक्ष्मा गडा पूर्णधर ॥ ॥ रापनिया, जयपुर।
  ४. उप गदा पूर्ण-पद ॥ / लक्ष्मीरी पूर्णधर ॥ रा.प. नियम, जयपुर।
  ५. गुण्ड उत्तराहन कु-पद ॥ सेतापितारी ॥ ॥ लेन्द्रीय जाक्षाला, रापनि—
  ६. प्रश्न्य शुभ-पद ॥ प्रश्न-पद हृ ॥ रा.प. नियम, —————।
  ७. छहिंठ लिङ्गी उत्तराहन, वित्तीय ज्ञाइजार, रा.प. नियम, जयपुर।
  ८. महामय सेतापितारी ॥ रारापर्णिमा, जयपुर।
  ९. रात्रिका द्योती

उप इहा योऽप्तिवता।

39

राजस्थान शासन पर्यावरण विभाग, पुष्टीगढ़, जयपुर।

2011-07-17 13:34:28

2636

$$\text{sqrt}(x) = \sqrt{2\pi} \cdot \sqrt{\Gamma(3/2 + x)/\Gamma(1/2 + x)} = \sqrt{2\pi} \cdot \frac{\Gamma(3/2 + x)}{\Gamma(1/2 + x)}$$

Digitized : 20.01.2003

-५ काशीलय-आग्ने ।-

राजसीध उपर्युक्त किसान द्वारा प्रमाणित एवं २१/२०८/वी.प्र. ८८/७८  
आर. सन. आर. ई. सी. /१९७२ तिनांच २४. ७. २००० ददी किसान प्रमाणित  
गोंदांग ९/२००३ किसांक १३. १. २००३ ददी उत्पादनात में इस जारीतायांपारा दहरी  
जारीतायांपारा उपर्युक्त २२-ए/लेखा/नियम/९३/२७। तिनांच २७. ४. ९३ ददी जारीता  
उपर्युक्त ४/लेखा/तिनांच ७२-ए/१९८/३६२० तिनांच ७. ५. ९३ में दर्शित गिन्हुत्तेलटा  
५/१३ ११११ ११११ दो किलोमीटर तथा आहेया उपर्युक्त ४/लेखा/नियम/७२-ए/  
१९८/३६२० तिनांच ७. ५. ९४ के दिनदूर तांड्या ५ में दर्शित \* पृथम, द्वितीय, पा  
तांड्या पठांननति जैती भी लिप्तिल्लौ, के तिथे उत्ती लेखा/ तंड्या में लोहा पद्धन  
इतो गा अर्धारी पठांननति ते लिथे लेखा/नियम गोंदांगता नदी रुखा द्वी तथा सुल्लं-  
पटों के तन्त्रन्त्रप में, द्वारा नित घेतनमान निम्नानुसार व्यापे उत्तार होमें \* के  
उधान पर १,१०,२७ वर्ष दी हेवा, जैती भी लिप्तिल्लौ, पूर्ण घरने पर पृथम,  
द्वितीय या तृतीय घरनित घेतनमान नीचे लायपि उत्तार ही स्वीकृत लिथे जावें\*  
अंदित किया जाता है ।

यह लापलिय आदेश दिनांक 25. 1. 92 से ही प्रभागी भाना

87

पुस्तक निकेतन

क्रमांक:- सफ-५/गोडा/नियम/७२-स-१११/०३/ १२७२ तिथि:- ५.२.२००३  
प्रतिलिपि द्वारा स्वीकृत कर्तव्य अस्ति

1. निजी सचिव, अधिकारी / प्रबन्ध निवेशक, रारापपनिगम, जयपुर ।  
 2. लार्गियारी निवेशक ॥ रारापपनिगम, जयपुर ।  
 3. गहा प्रबन्धक ॥ १००हा प्रबन्धक ॥ रारापपनिगम, जयपुर ।  
 4. उप गहा प्रबन्धक ॥ लार्गियारी प्रबन्धक ॥ रारापपनिगम, जयपुर ।  
 5. निम्न तथिक वर्जीयता, रारापपनिगम, जयपुर ।  
 6. मूल्य उपशाहन प्रबन्धक/लेखापियारी, लोगार्थियांगा, रारापपनिगम,  
 7. प्रद्युम्न प्रबन्धक/ प्रबन्धक ॥ रारापपनिगम, ——————  
 8. वारिस्त निजी लार्गियता, वित्तीय लालिकार, रारापपनिगम, जयपुर ।  
 9. सकारात्मक लेखापियारी ॥ रारापपनिगम, जयपुर ।  
 10. राधित पवारकी ।

वित्तीय लाइकार

कालिकान द्वारा प्रभा परिवहन नियम, जयपुर।

નેતૃત્વ દિપાલી સંગ્રહાલય, ગાંધીજી

प्रयोगी - एसएस१३५/प्राप्ति/संग्रह/कलेक्शन/राजस्थान/०३/ ४०७६

११,६,०३

- 32

卷之三

तिगम जो विभिन्न दशार्थियों द्वारा आर्थिक सहाया करा है तो ऐसे नाम गुरु, दी, उत्ता, आर्टिस्ट बैड-टूलीय जिनके सारा 25.01.92 अपवाह करने द्वारा 10 दिन ही देश एवं दिल्ली द्वारे पर लीडिंग खोखप वैदिक-दृष्टि में ग्राम हृषि नदी होने पर वैदिक विद्वान् डॉ फिरा गाए।

इता-कार्यालय के प्रतिपत्र उपर्याक : एम-२॥ १/लेखा/नियम/१५४/  
६७८, दिनांक २०. ०८. १९९८, एवं इसके अध्यन्तर्गत १३/लेखा/नियम/१६४/०१/३२६२  
नियांक १५. ०३. २००१ के अनुसार दिनांक २५. ०१. ९२ अप्रैल को वाल १० पर्याक  
की लेखा पर्याक छारें पार होता थैलन शृंखला में दैलन निपांरण करूँ किसी भी प्रकार  
की अपेक्षा नहीं होती है तो दैलन निपांरण किया जागा आवश्यक है।

अतः सन्देश नियारण हैतु स्वाक्षर रहा तो निर्देशित क्रिया जागा है कि ऐसे नाम आर.टी.आर. प्रार्टिजन ग्रेड- तृतीय जिन्होंने 25.01.92 अप्लाई करके पात्रता 10 वर्ष की तिता पर्ण की है उन्हें प्रधारण 9 वर्ष की तिता पर प्रधारण नियम वेतनप्राप्ति में वेतन निधियों के पात्रता 10 वर्ष की तिता पर्ण छर्ण लगने पर उन्हें विभिन्न प्रारंभिक त्रै अंदित वेतन दीजा और वेतन नियमन रासान लौज पर निधा किया जाये और वहाँ लापान लेटेव नहीं हो दहाँ वेतन लौज नीरे बीं लेटेव पर नियम लिया जाये और अन्तर ली राखि हो व्यवितरण वेतन स्वीकृत कर आरामी वेतन दूसियों और स्पाचीय फिला जाये। वापरप्राप्ति कर्मचारी ली 18 एवं 27 वर्ष ली जिता वर्ण लगते पर नियमानुसार व्यवितरण रखे तृतीय व्यवितरण वेतनमान लौज किया जाये।

किया जाए। .. धर्म निर्देश राज्य गवर्नर द्वारा पत्र कृपाके संगति 10 पैसो रुपये/ 2002 मिनांक 29.05.2003 द्वारा अनुमति दिये गये हैं। इस निर्देशों के जारी होने के पहली ऐसे चाँच गार्ड.टी.आर. आर्टिंग ग्रैंड-कूटीप जा केल निपत्ति तपान रेल्वे पे उपात में खट्टि शगली रेल्वे पर किया गया हो तो ऐसे ब्रिटिश रेल्वे नियन्त्रण को अविकल्प उपरोक्तान्वार संबोधित किया जाए।

Digitized by srujanika@gmail.com

एकांक:- रु-4/13/रा/नियम/उल्लेख/गाडानी/03/ 4876 दिनांक:- 11.6.03  
प्रतिक्रिया दिने ते वर्षाची प्रति उल्लेख गाडानी होः प्रतिमा होः-

१८५० वर्षात् यह अपनी विद्या का अधिकार लेने वाली प्रथम महिला बनी।

२० अक्टूबर १९८५ तात्पूर्ण, लक्ष्मी

१०८ विष्णु प्रवर्तन ॥ १०९ विष्णु प्रवर्तन ॥

साह-उम्मीद, भारतपुस्तकालय, काशी

142- विद्या - २८५ - ११६, विद्या, १०३४

१०८ अनुवाद—“महाराजा” बोली, द्वारा उन्हें नियम,

१० विजय शुक्ल / २०२३ | ब्रह्मदीप अभियान

७२ लक्ष्मीनारायण विजयनारायण, विजयनारायणप्राप्तिम्, विजयनारायण।

१४ रात्रिका मनोकरण।

१८८५

(4)

38/26

राजस्थान राज्य के पौराणन निगम, जयपुर  
लेहा निलालीकाम, पुष्पालय

इगांक: एफ-4||3||लेहा/निलालीकाम/72ए/2003/11195

दिनांक: 9.12.2003

पौराण

रामेश विनान ने गाँधीजी द्वारा लिखे एकूशों-16/पु. /रामेश/प्रोत्तर्गीच/ 03/377 दिनांक 27.6.2003 में पर्याप्त निर्देश देया है। इसे अनुसार उभयनामियों द्वारा 7-10-27 कई बार देया पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान या लाभ उतने दिवत तारों द्वितीया दर देया जाना आदेष्ट है, जिसने दिवत उभयनामियों अनुपस्थित रहा है।

पूर्व जारी दिशा-निर्देशों ता राज्य तरकार द्वारा चयनित वेतनमान के सम्बन्ध में जारी निर्देशों के एवं देवल भी पुनः परोक्ष दिया गया। स्वाग भीषणारों द्वारा अवलोकन की दृष्टि कृत देवल चयनित वेतनमान के प्रांगोनार्थी देया भविष्य छोड़ गया। इसी दृष्टि के अनुसार अवलोकन की दृष्टि कृत देवल चयनित वेतनमान के प्रांगोनार्थी देया भविष्य छोड़ गया।

उक्त पौराणक श्रीमान् अष्टक एवं प्रधान निदेशक महोदय हैं अनुमोदन ते जारी दिया गया है।

रामेश

प्रत्तीष तलाडार

इगांक: एफ-4||3||लेहा/निलालीकाम/72ए/2003/11195

दिनांक: 9.12.2003

प्रतिलिपि निम्नलिखित दो तृष्णार्थ एवं अंग्रेजी लार्यारों द्वारा देय देखित है:-

1. निजो सीधे-अष्टक एवं प्रधान निदेशक, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।

2. रामेश निदेशक। १, रा.रा.प.प.नि., जयपुर।

3. महा प्रधान। १, रा.रा.प.प.नि., —————।

4. उरु लडा द्रुष्टव। १/लडा रामेश। १, रा.प.नि., पपुर।

5. लोक्य-निगम/यंजीपद, रा.रा.प.प.नि.निगम, जयपुर।

6. पूर्व प्रधान, रा.रा.प.प.नि.निगम, —————।

7. लेहा भीषण। १/लडा.लेहा.भीषण। १, रा.प.नि., जयपुर।

8. रामेश वकालती।

रामेश  
प्रत्तीष तलाडार

राजस्थान राज्य पर्यावरण विभाग, मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक:-एफ-५/उत्तेजा/नियम/८२-८-१४/३१६

दिनांक ७.१.२००४

३९

पर्यावरण

इस आर्योत्तम के उद्देश नं. सफ-५/८२-८/उत्तेजा/नियम/१७/५८००  
दिनांक १०.५.२००४ द्वारा यह रफ्ट किया है कि यही विवादों सेवा पुरुष कर्मचारी  
के सेवा पुरुष काल को अधीप को निरन्तर सेवा मानते हुए पूर्ण बेतन भल्लों सौन्दर्य  
मूः विगम होता है तो का आवेदन नियायालय द्वारा दिया जाता है तो उक्त सेवा  
पुरुष काल को अधीप को अनियन्त्रित बेतनमान रूपोंकी द्वारा अधीप को गमना है  
कौम्भिक लिंग दिया जावेगा।

इस लिख्य में कठिनाया इकाईयों द्वारा प्रबल की गयी इकाओं के  
तात्पर्यान द्वारा उक्त अद्वितीय आदेश के क्रम में हुन: रफ्ट किया जाता है कि जिन  
मामलों में नियायालय/अधीक्षित अधिकारी द्वारा विवादों सेवा पुरुष कर्मचारी के  
सेवा पुरुष काल भी अधीप को निरन्तर सेवा मानते हुए पूर्ण बेतन भल्लों सौन्दर्य  
मूः विगम सेवा में हिस्से जाने के आदेश दिये जाते हैं परन्तु समझावें के अन्तर्गत  
कर्मचारी द्वारा द्वयों द्वारा इकाएं से बेतन घोड़ देते हैं तो उन मामलों में भी उक्त  
सेवा पुरुष काल भी अधीप को अनियन्त्रित बेतनमान रूपोंकी द्वारा अधीप को गमना  
है कौम्भिक लिंग दिया जावेगा।

परन्तु जिन मामलों में नियायालय/अधीक्षित अधिकारी द्वारा पूरे बेतन  
से कम अधिक १० २ ३० २ ५० २ पा अधीप कोई भी स्वीकृति नियम  
द्वारा देतन दिलाता गया है उन मामलों में तात्पूर्णता सेवा पुरुष अधीप को १, १८, २७  
पर्याय अनियन्त्रित बेतनमान रूपोंकी द्वारा अधीप को गमना में तात्पूर्णता वहीं दिया  
जावेगा। १० २ ३० २ अधीक्षित कोई भी प्रश्न नहीं गहरा छोड़ा जावेगा।

इस दिलात नियम उपर्युक्त प्रबन्ध नियमक महोदय के अनुसार  
से आवाजे दिये जाते हैं।

राजीव कुमार  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-५/उत्तेजा/नियम/८२-८-१।।। १४/ ३१६ दिनांक: ७.१.२००४

प्रबन्धनीय स्व जालायक कार्मिकों द्वारा प्रतिष्ठित है :-

- १- नियमों तथा प्रबन्धनीय स्व जालायक कार्मिकों द्वारा प्रतिष्ठित, राज्यपाल नियम, जयपुर
- २- बार्यजा दो नियेकांकी । राज्यपाल नियम, मु० जयपुर
- ३- महा प्रबन्धनीय । राज्यपाल नियम, जयपुर
- ४- उपमहा प्रबन्धनीय । कार्यकारी प्रबन्धनीय ।
- ५- मुद्रा उपराजन प्रबन्धनीय/लेहांगी प्रिकारी, के.ए.जे.पर्स/अपैरेन्स/जोधपुर
- ६- तात्पूर्ण नियम/रक्षितार, राजस्थान परिवहन नियम, मु० जयपुर
- ७- मुद्रा प्रबन्धनीय/प्रबन्धनीय । राज्यपाल नियम, -----
- ८- लेहांगी प्रिकारी/सहायक लेहांगी प्रिकारी, राज्यपाल नियम, -----
- ९- परिवहन नियमों सहायक, वित्तीय सलाहकार, राज्यपाल, मु० जयपुर
- १०- रहीम एकादलों ।

०५.८  
उपमहा प्रबन्धनीय/संस्था/नियम

फारम सुन्दरी/कार्मिक/प्रसु/2004/१८/१३

५०

कार्यालय-अधिकारी

इतनाम में नियम प्रशासन द्वारा कार्मिकों को जारी आरोप पत्रों का नियंत्रण आर्थिक दण्डों के आधार पर किया जा रहा है, इसलिए कार्मिकों को दाता-प्राप्ति देतनाम स्वीकृत करने की सम्भाल में उन्हें अपेक्षा गये आरोप पत्रों में अन्य दण्ड की तरह आर्थिक दण्ड नी ब्राह्मणों की जारी की जानी की सम्भाल में नियंत्रण किया जाता है। पूर्व में तुम कार्यालय से जारी आदेश राज्यपाल/कार्मिक/प्रसु नं। ११३/१७/१४२ दिनांक १५.२.९७ को पिछ्के संख्या ३ में कर्मचारी से हानि की वस्तु पर दिये गये दण्ड, को घटानित घटनामान के लान से विचित नहो रहने के निर्देश हैं।

विनायक मण्डल हुआ इस संघर्ष में देतन गया नियाय संख्या 23/2003 द्वारा परिवहन नियम राज्यपाल सरकार, जगद्धुर से आदा अनुमोदन पत्र क्रमांक ३-१४/ परि/०४/ दिनांक 27.4.2004 को कहा गया आर्थिक दण्डों द्वारा कर्मचारियों की नियंत्रारित किये गये प्रत्येक आरोप पत्र के प्रकरणों में घटानित दातनाम का जाम नियम सार रखायित किया जाने से आदा प्रशासन किये जाते हैं।

क्र.सं.	आर्थिक दण्ड से दण्डित की जाने वाली राशि	घटानित देतनामान राशि जाने की अवधि
1.	5000 रुपये तक	एक वर्ष के लिए
2.	25000 रुपये तक	दो वर्ष के लिए
3.	25000 रुपये से अधिक	तीन वर्ष के लिए

राजस्थान राज्य प्रशासन द्वारा नियम कर्मचारी एवं कार्यालय कर्मचारी रथाई आदेश, 1965 के नियम 36(4) के अन्तर्गत आदि आर्थिक दण्ड कुल घेतन के 2 प्रतिशत से कम है तो उस आर्थिक दण्ड का प्रभाव घटानित देतनामान लीज़ुति पर नहीं पड़ेगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

प्रदर्शन निदेशक

क्रमांक: मुख्य/कार्मिक/प्रसु/2004/१८/१३ दिनांक: २१.८.०५  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक जार्याधारी हेतु प्रेषित है:-

१. निवी संविधान-अधार/ प्रधन निदेशक, राजनीति विभाग।
२. राजनीति प्रधन निवी संविधान ( ), राजनीति विभाग।
३. राजनीति उठा प्रधन निवी ( ), राजनीति विभाग।
४. राजनीति नियम, राजस्थान परिवहन नियम, मुख्यमंत्री विभाग।
५. राजनीति मुख्य उठा उठा प्रधन निवी/मुख्य प्रधन निवी, राजनीति विभाग।
६. लोकाधिकारी/प्रधान निवी (लेखा/प्रशासन), राजनीति विभाग।
७. आदेश/रक्षित प्रशासन।

कर्मचारी निदेशक (प्रशासन)

५५

शत्रुघ्नीन राज्य पर्याप्ति परिवहन निगम, जयपुर  
गिला (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक १०८/१३/१३/वित्त/नियम/७२-८ III/०४/७७५२ दिनांक : ०७.०४.०४

### परिपत्र

प्राय यह देखने में आता है कि इकाई रत्नीय चयनित वेतनमान समिति द्वारा कार्यदारियों को देय चयनित वेतनमान मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्रमांक : मुख्या/कार्यक/एफ-७०/प्र.सु/०२/३७ दिनांक ११.०१.०२ में वर्णित दिशा-निर्देशों नो छान में रखे दिना नियमित वास्तविक देय दिनांक के बजाए समिति की ईचक/आन्तिम दण्डादेश/आदेशनिक अदकाशा स्वीकृति की दिनांक से त्वीकृत किया जा रहा है।

इकाई स्तर पर उक्तानुसार दिशा-निर्देशों के विपरीत राम्पादित की जा रही कार्यवाही के विलङ्घ कई कर्मचारियों द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष महोदय तथा प्रबन्ध निदेशक महोदय को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उपरोक्त वर्णित आदेश के अन्तर्गत वास्तविक देय दिनांक से चयनित वेतनमान अनुमति किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण के क्रम में मामलों का सूचना से परीक्षण किये जाने पर पाया गया कि संबंधित समस्त मामलों में उपरोक्त वर्णित आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का स्पष्ट लेप से उल्लंघन किया गया है।

अत यसस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित आदेश क्रमांक-३७ दिनांक ११.०१.०२ के दिशा-निर्देशों के विपरीत अनुमति किये गये चयनित वेतनमान मामलों का इकाई रत्नीय चयनित दिशा-निर्देशानुसार निस्तारण करे तथा भविष्य में उक्त दिशा-निर्देशों की कठोरता से पालना करे। अबहेलना की स्थिति में इकाई प्रभारी एव इकाई रत्नीय चयनित वेतनमान समिति के अन्य समस्त सदस्यों के विलङ्घ कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अपल में लाई जावेगी, जिस हेतु व्यक्तिश उत्तरदायित्व होगा।

### २५ वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ८/१३/वित्त/नियम/७२-III/०४/७७५२ दिनांक ०७.०४.०४  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही देख प्रेपित है :-

१. निजी उचित-अद्यता/प्रबन्ध निदेशावासापनि, मुख्यालय, जयपुर।
२. कार्यकारी निदेशक( ), राशापनि, न०. जयपुर।
३. महा प्रबन्धक( ), राशापनि.....
४. उप महा प्रबन्धक( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ), राशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
५. सांख्य नियम/पर्याप्ति, राशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
६. मुठा उत्तरदान प्रबन्धक/लेखाधिकारी, राशापनि, क०कार्पशाला।
७. मुठा प्रबन्धक/प्रबन्धक( ), राशापनि
८. सहायक लेखाधिकारी( ), राशापनि
९. व०निजी सहायक-वित्तीय सलाहकार, राशापनि, मुख्यालय, जयपुर।
१०. अध्यक्ष/महा सचिव, अधिक संगठन.....
११. रक्षित पत्रावली।

स्पष्ट महा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

५५

६२

राजस्थान विधि परिषद् निगम, जयपुर  
वित्त (बजार) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक: एफ४/(०६)/१५३८ दिनांक: ०४/८५३८

दिनांक: 28.08.04

प्रिपत्र

निगम कर्मचारियों को देय चयानित वेतनगान लाल हेतु समय समय पर जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में समरत आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्दिशित किया जाता है कि कर्मचारियों को चयानित वेतनगान का नकद लाभ लानेति को देटक दिनांक से ही अनुग्रात किया जावेगा। चयानित वेतनगान की प्रास्तविक देय दिनांक एवं राशिति को देटक दिनांक के पद्ध की एरियर राशि को सनस्त पेण्डिंग भुगतान भी निगम की वर्तमान वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इस संबंध में मुख्यालय से अग्रिम निर्देश जारी होने पर ही किये जावेगे। सेवानिवृत्ति प्रकरणों पर यह निर्देश लागू नहीं होगे।

उपर्युक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

प्रबन्ध निदेशक 28/०८/०४

दिनांक: 28.08.04

क्रमांक: एफ४/(०६)/वित्त/बजार/०४/८५३८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु प्रेषित है:—

१. निजी सचिव—अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
२. कार्यकारी निदेशक( ), रारापपनि, मु०, जयपुर।
३. महा प्रबन्धक( ), रारापपनि,
४. उप महा प्रबन्धक( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ), रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
५. सचिव निगम / पंजीयक, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
६. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, रारापपनि, क००कार्यशाला,
७. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक( ), रारापपनि,
८. सहायक लेखाधिकारी( ), रारापपनि,
९. व०निजी सहायक—वित्तीय सलाहकार, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर।
१०. अध्यक्ष/महा सचिव, श्रमिक संगठन
११. रक्षित पत्रावली।

महा प्रबन्धक (वित्त)

राजस्थान विद्यालय, सूखाराम, अद्यता, राजस्थान।

Page - 20/STC/9730/04/042

Digitized by Google

二〇一九年三月

जन कार्यालय ने आदेश क्रमांक ३०/१०/प्रस०/०४/३३५ परिवर्तन २१.५.०४ द्वारा अंतिम दसड़ों को दरबना क्षेत्रमान में प्रभावी करने पायत आदेश प्रकारित किये गये हैं। इन आदेश को तुरन्त प्रयाव में मान लिया गया भा।

भिन्न-भिन्न पूँजियों द्वारा जारी उक्त आदेश जो तुरन्त प्रभाव ते ताकू लिये जाने पर इस सम्बन्ध में लाल-लिय पर भारी दर्शन पड़ने के तत्त्वमें पत्र प्रेषित लिये गये हैं। उक्त सम्बन्ध में एक द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि आदेश इनांक सु०/ए००/पु००/०५/ ३३५ दिनांक २१.५.०५ जारी होने के पश्चात आपोनित भी जाने वाली घटनित घटनाओं की छट्टे ऐसे गठित समिक्षित द्वारा कल्पित अधिकारियों द्वारा घटनित घटनाओं पर वेष्य दिनांक से पिछले तात्त्व वर्ण भी उत्थित में तो ऐसे गये भारपिंड दण्डों द्वारा लापूर्णित द्वारा जारी आदेश इनांक ३३५ दिनांक २१.५.०५ में वर्णित दिशा निर्देशानुसार घटनित घटनाओं रोके जाने ली गवाहि द्वेष्ट प्रभावित रूपों द्वारा जावेगा।

प्रवान्ग निर्देशक

फॉर्माट: -T0/ST0/5ता/04/ 68

ਪੰਜਾਬ:- 16. 9. 04

**प्रतिगिरिः**- निम्न छो सम्पन्न एवं झाक्षरपूर्व शार्पशाही हेतु प्रेक्षित हैं :-

- १- निजी सहिद, गणपत्य/पृथग्न्या निदेशक महोदय, रापनि, मुहम्मदालय, जयपुर।
  - २- लाला दिप्रागाप्यधि ॥ [रापनि, जयपुर ।]
  - ३- ललाल महापृथग्न्य ॥ [रापनि, मु., अफसुर ।]
  - ४- रादिव, निष्ठ, रापनि, मुहम्मदालय, जयपुर ।
  - ५- लाला मुहय उत्पादन प्रबन्धकाल/मुक्तय प्रबन्धकाल [२०१२-१३] [रापनि]
  - ६- लाला पिंडारी/पृथग्न्याल/लिला/गुरामन [रापनि] -----
  - ७- उपेता/पहित पत्राकड़ी ।

## સરકારી નિર્દેશાળા

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर  
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

उमाक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-ए III/05/48।

दिनांक 20.01.05

### परिपत्र

कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुख्या / कार्मिक / प्र सु / 2003/713 दिनांक 18.10.2003 के अनुसार कर्मचारियों को 9-18-27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ दिये जाने के सबै मे रामिति की घटके वर्ष मे चार बार अर्थात् जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर माह मे आयोजित किया जाना आदेशित है।

कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ त्वरित गति से दिये जाने के सबै मे मुख्यालय मे दिनांक 21.12.2004 को आयोजित मुख्य प्रबन्धकों की घटक से दिये गये नियम के क्रम मे समस्त इकाई प्रभारियों को निवृत्तिक्रिया जाता है कि इकाई स्तर पर कर्मचारियों को 9.18.27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय चयनित वेतनमान की घटक वैनासिक आधार के स्थान पर नासिक आधार पर आयोजित की जावे लाभ नासिक लाभ से आयोजित की गई घटक ने रामिति के समस्त प्रबन्ध समस्त प्रकरणों तथा चयनित वेतनमान स्वीकृत किये गये प्रकरणों का विवरण पत्र आवश्यक रूप से मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।

उक्त विशा-नियम तुरन्त प्रभाव से लागू काने जावेगे।

वित्तीय सलाहकार

उमाक एफ4/(13)/वित्त/नियम/72-ए III/05/48।

दिनांक 20.01.05

प्रतिलिपि निम्न वा राज्यालय एव आवश्यक कार्यालयों हेतु प्रियत है —

1. निजी सचिव—जायपुर एव दूष्प्रभाव निदेशक, राजापानि, मुख्यालय, जयपुर।
2. कार्यकारी निदेशक( ), राजापानि, मुख्यालय, जयपुर।
3. महा प्रबन्धक( ), राजापानि,
4. उप महा प्रबन्धक( ), कार्यकारी प्रबन्धक( ), राजापानि,
5. लायिव निगम, राजापानि, मुख्यालय, जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, राजापानि, केंद्रकार्यशाला,
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक( ), राजापानि,
8. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी( ), राजापानि,
9. निजी सचिव—वित्तीय सलाहकार, राजापानि, मुख्यालय, जयपुर।
10. महा सचिव, अभियंत्र राजठन
11. राजित पत्रावली।

संसुक्त गदा प्रबन्धक (वित्त-नियम)

पुनरीक्षित बैतनमान १९८९ के रहस्य दिनांक ०१.०९.१९८८ से प्रभावी चयन घोषणा के अनुसार भूखला पंची यां (अपराह्नी दौलती एवं अद्वितीय गार्डनर रसीपर) एवं कर्मचारियों को १५ चयन-घोषणा बैतन शृंखला ८००-१२५० में स्थीकृत किया है। तत्पश्चात् राज्य सरकार के अनुलाप निगम कर्मचारियों को भी उनके द्वारा १,१८,२७ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित बैतनमान स्थीकृत किये जाने हेतु आदेश छनका एवा (७२-ए) / लेखा / नियम / ९३ / २९७१ दिनांक २७.०४.९३ जारी किया गया। इस आदेश के अनुसार अनुर्ध्व अधिक अधिक वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थीकृति योग्य चयनित बैतनमान निम्नानुसार है।-

पद की बैतन शृंखला	चयनित बैतनमान की बैतन शृंखला		
	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
७५०-९४०	७७५-१०२५	८००-१२५०	८२५-१३५०

(अधि) दिनांक ७२-१३७९

उपर विवरण से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक २६.०१.९२ से पूर्व १५ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर इस बांग और कर्मचारियों को पुनरीक्षित बैतनमान १९८९ की बैतन शृंखला ८००-१२५० में चयन-घोषणा किये जाने के पश्चात् दिनांक २६.०१.९२ को बैतन शृंखला ७७५-१०२५ में प्रथम चयनित बैतनमान (३ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय) स्थीकृत किया जाता आदेशित है। बैतन शृंखला ७७५-१०२५ बैतन शृंखला ८००-१२५० से निम्नतर (नीचे की) होने के कारण दिनांक २६.०१.९२ के पूर्व से बैतन शृंखला ८००-१२५० में चयन-घोषणा प्राप्त उक्त वर्षित पदों के कर्मचारियों को आदेश क्रमांक २९७१ दिनांक २७.०४.९३ के अनुसार में दिनांक २६.०१.९२ अधिक इतके पश्चात् १८ वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक से सीधे ही द्वितीय चयनित बैतनमान स्थीकृत किये जाने के कारण व्याप्त बैतन विसर्गात्मक क्रियाकरण के कान में राजकीय उपकरण घूरा जै प्राप्त प्रद क्रमांक एफ (२०)पीपीई / ९८ / आर.एस.आर.टी.सी. / १७३७ दिनांक ०३.०९.२००१ में वर्षित दिशा-निर्देशानुसार उक्त योग्यता पदों से स्वयंसित कर्मचारियों द्वारा १,१८ एवं २७ वर्ष की वीथा पूर्ण करने पर चयनित बैतनमान निगम के आदेश क्रमांक २९७१ दिनांक २७.०४.९३ में वर्षित बैतन शृंखलाओं में स्थीकृत किया जाना है। इस हेतु १५ वर्ष तकी सेवा पूर्ण करने पर इसकृत की गई चयन घोषणा को ध्यान में नहीं रखा जाना है अर्थात् दिनांक २६.०१.९२ से पूर्व १५ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थीकृत की गई चयन-घोषणा भी मामलों में कर्मचारियों द्वारा पूर्व में पुनरीक्षित बैतनमान १९८९ प्राप्त करने हेतु प्रत्युत्तर नियम गये विकल्प के अनुसार उक्त दिनांक की उपलब्ध बैतन शृंखला ७५०-९४० में वियो गये बैतन स्थिरीकरण के आधार पर इसी बैतन शृंखला में आने की वार्षिक बैतन घुड़ियों जारी की जाये तथा दिनांक २६.०१.९२ को हृषि भाग्यार्थी बैतन प्रथम द्वितीय एवं तृतीय चयनित बैतनमान (जिसी भी स्थिति है) हेतु आदेश क्रमांक २९७१ दिनांक २७.०४.९३ में वर्षित बैतन शृंखलाओं में बैतन स्थिरीकरण किया जाए ताकि व्याप्त बैतन विसंगति समाप्त हो जाए।

उक्तानुसार चयनित बैतनमान स्थीकृत किये जाने के फलस्वरूप कर्मचारी द्वारा पूर्व में १५ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर स्थीकृत की गई चयन घोषणा को कारण प्राप्त अधिक बैतन गी बलूली योग्य राशि का समावैज्ञान कर्मचारी की यतन वाली एविया राशि गी से किया जाकर ही शीप राशि का भुगतान किया जाए।

द्वितीय सलाहकार

क्रमांक - एफ ४/(१३)वित्त/नियम/७२-८ II/०५/२०७९ दिनांक  
प्रतिविधि नियमित्तिः यह शुद्धनार्थ एवं अधिकार गोपनीय है।

१. नियमी संघिय- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजापपनि, जयपुर।
२. कार्यकारी निदेशक ( ), राजापपनि, जयपुर।
३. महा प्रबन्धक ( ), राजापपनि, जयपुर।
४. उप महा प्रबन्धक ( ), कार्यकारी प्रबन्धक ( ), राजापपनि, जयपुर।
५. नियम संघिय-राजापपनि, जयपुर।
६. मुख्य उत्तोदन प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला, राजापपनि,
७. मुख्य प्रबन्धक/प्रयन्धक ( ), राजापपनि,
८. संघाधिकारी ( ), सार्वजनिकारी ( ), राजापपनि, जयपुर।
९. नियम संघिय-प्रियतीय सलाहकार, राजापपनि, जयपुर।
१०. अध्यक्ष/महा संघिय, अधिकारी सामाजिक समिति, जयपुर।
११. रहित पत्रावली।

महा महा प्रबन्धक (प्रियती)

50

५६

१०

राज्य संघर्ष एवं परिवहन निगम, जयपुर  
वित्त (नियम) निगम मुख्यालय

क्रमांक:-एफ-४(१३), वित्त / नियम / ७२-ए ३३१ / ०५ / २३०।

दिनांक: १९.३.०५

परिपत्र

निगम संचालन मण्डल के निर्णय संख्या ८/२००५ की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा उसे परिपत्र संख्या एस-४ (१३) / लेखा / नियम / ७२-ए / २००२/४६८ दिनांक १७.१.२००२ को थार्ड (Withdraw) लेते हुये समर्त इकाई प्रभारियों को निर्दिशित किया जाता है कि ९-१८-२७ वर्षीय चयनित वैतनमान के प्रयोजनार्थ सेवा की गणना कनिष्ठ हिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक से ही को जावे।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:-एफ-४(१३)/वित्त/नियम/७२-ए ३३१/०५/२३०।

दिनांक १९.३.०५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आधशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी संचिव अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
2. कार्यकारी निदेशक( ) रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
3. महा प्रबन्धक( ), रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
4. उप महा प्रबन्धक( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
5. संधिय निगम, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, रा.रा.प.प.निगम, को.का. —
7. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक( ), रा.रा.प.प.निगम, —
8. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी( ) रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
9. निजी संचिव वित्तीय सलाहकार, रा.रा.प.प.निगम, जयपुर
10. अध्यक्ष/महा संचिव — शानिक संगठन
11. रक्षित पत्रावली

संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त/नियम)

क्रमांक एफ4 / वित्त / नियम / 72ए ।।। / 07 / 523

दिनांक: 22.01.2007

### परिपत्र

इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ4 (13) / वित्त / नियम / 72 ए / 05 / 481 दिनांक 20.1.05 जारी कर समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि कर्मचारियों चौथे १-१०-२७ रर्फ की सेवा पूर्ण करने पर देप धर्मनित यैतनमान की बैठक मासिक आधार पर आवश्यक रूप से आयोजित की जाये। अधोहस्ताक्षर कर्ता की जानकारी में आया है कि कई इकाईयों में उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना नहीं की जारही है। कलस्वरूप कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त होने के साथ लम्बे समय का अवधिनित यैतनमान ऐरियर भी लम्बित हो रहा है।

अतः समस्त इकाई प्रभारियों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित निर्देशों के अनुसारण में अवधिनित यैतनमान की बैठक अनियाय रूप से प्रत्येक माह आयोजित की जाये तथा भविष्य में आयोजित अवधिनित यैतनमान बैठकों में स्वीकृत अवधिनित यैतनमान प्रकरणों में देय दिनांक से तकद भुगतान किया जाये।

पूर्व में निर्णित प्रकारणों की अवधिनित यैतनमान ऐरियर का निर्णय निगम की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर भविष्य में लिया जायेगा।

  
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक एफ4 / वित्त / नियम / 72ए ।।। / 07 / 523

दिनांक: 22.01.2007

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सदिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रासापप निगम मुख्यालय जयपुर
2. कार्यकारी निदेशक( ) रासापप निगम, मुख्यालय जयपुर
3. महा प्रबन्धक ( ) रासापप निगम, मुख्यालय जयपुर
4. उप महा प्रबन्धक ( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ) रासापप निगम, मुख्यालय
5. सचिव-निगम, रासापप निगम मुख्यालय जयपुर।
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, केंद्रीय रासापप निगम ——————
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक ( ) रापनि, ——————आगार
8. लक्षाधिकारी ( )/ लहान लेखाधिकारी ( ), रासापप निगम, जयपुर
9. निजी सदिव वित्तीय सलाहकार, रासापप निगम, मुख्यालय जयपुर
10. राजित पत्रादली।

  
संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त / नियम)

८०

५२

राजस्थान राज्य पथ परिधङ्गन निगम, जयपुर

लगाक-मु०/का०/गो०प्र०/०७/९२

दिनांक- १२-२-०७

कार्यालय-आदेश

लगाक-१९६  
५-२-२

यह देखने में आया है कि ईकाई/आगार रत्तर पर कर्मचारियों को ९-१८-२७ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते समय सम्पन्नित तमिति द्वारा पिछले सात वर्ष का एसीआर विवरण पत्र का अध्योक्तन किये बिना ही चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया जाता है, जो कि नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः भविष्य के लिये सम्पन्नित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि कर्मचारियों को चयनित वेतनमान का लाभ जिस दिनांक को देय होता है उस समय उनका पिछले सात वर्ष का एसीआर का विवरण -पत्र मुख्यालय, जयपुर रा दी भाह पूर्य ही प्राप्त कर लिया जाये एवं समिति द्वारा एसीआर के विवरण पत्र का अध्योक्तन करने के पश्चात् ली ९-१८-२७ वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ रखीकृत किया जाये। यहां यह उल्लेखनीय है कि सात वर्ष के एसीआर विवरण पत्र में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर चयनित वेतनमान का लाभ नहीं दिया जावे।

उपल निर्देशों की सख्ती से पालना की जावे।

प्रबन्धक  
निदेशक

लगाक-मु०/का०/गो०प्र०/०७/९२ दिनांक- १२-२-०७

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु प्रवित है-

१. निजी संधिय, प्रबन्ध निदेशक महोदय, राजपत्रनिगम, मुख्यालय, जयपुर
२. तनस्त विभागाध्यक्ष —————— राजपत्रनिगम, मुख्यालय, जयपुर
३. तनस्त नहा प्रबन्धक(तन्दा०) —————— जोन, राजनि, मुख्यालय, जयपुर
४. तनस्त उप नहा प्रबन्धक (—————) राजपत्रनिगम, मुख्यालय, जयपुर
५. कार्यकारी प्रबन्धक (—————) राजपत्रनिगम, मुख्यालय, जयपुर
६. तनस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, राजपत्रनिगम के कार्य ——————
७. तनस्त मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (दित्त/प्रशासन/सचालन/यातायात)  
राजपत्रनिगम —————— आगार
८. कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जगपुर।

(51)

५७

क्रमांक एफ(113) मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2007/128 दिनांक: 15-3-07


कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2004/335 दिनांक 21.5.2004 एवं आदेश क्रमांक 668 दिनांक 16.9.2004 के हारा जारी एण्डो को दैव चयनित येतनमान में प्रभावी किये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त आदेशों के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि जिन कर्मचारियों के 9-18-27 वर्षीय चयनित येतनमान दिनांक 21.5.2004 से पूर्व देय होता है, उन प्रकरणों में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होते। दिनांक 21.5.2004 से पूर्व के 9-18-27 वर्ष के चयनित येतनमान प्रकरणों का निस्तारण आदेश क्रमांक मु./का./प्र.सु./एफ-113/१७/142 दिनांक 15.2.1997 एवं आदेश संख्या ५९० दिनांक 18.10.1997 में पारित प्रायधानानुसार किया जायगा।

  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक एफ(113) मुख्या/कार्मिक/प्र.सु/2007/128 दिनांक: 15-3-07  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यदाही हेतु:-

1. निजी सदिय, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक महोदय, रापनि, जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष, रारापनिगम, मुख्यालय, जयपुर
3. समस्त नहा प्रबन्धक (—), रारापनिगम, मु. जयपुर  (R)
4. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, रापनि, —
5. समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (पिता/याता/सचा/प्रशा), रापनि, —
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

राजस्थान परियहन निगम, मुख्यालय, जयपुर

५२  
५४

क्रमांक:-मु०/का०/गो०प्र०/०७/२४४  
परिपत्र

दिनांक:- १५-५-२००८

इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक मु०/का०/गो०प्र०/2007/  
१८१ दिनांक 28.3.2007 के द्वारा निगम में जिन कर्मचारियों के वार्षिक कार्य  
मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं भरे जाते हैं उन कर्मचारियों को ९-१८ व ३७ वर्ष  
तक चयनित वेतनमान देने हेतु वर्ष 1996-97 से कार्य एवं आचरण विवरण  
पत्र भरा जाना अनिवार्य किया गया था, के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि  
जिन संबंधी के लिये वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन लागू नहीं होते हैं  
उन मामलों का निपटारा सन्तोषप्रद कार्य रिपोर्ट व निम्नलिखित शर्तों की  
सूची करते हुये किया जावे।

- १ कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय अथवा फौजदारी जौच प्रकरण  
विचाराधीन नहीं हो।
- २ कर्मचारी को पिछले सात वर्षों में नियन्त्रण वार्षिक वेतन वृद्धियों मिलती  
रही हो एवं नियंत्रक अधिकारी द्वारा सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण पत्र  
दिया हुआ हो उन्हें चयनित वेतनमान का लाभ दे दिया जावे।

कार्यकारी नियंत्रक (प्रशासन)

क्रमांक:-मु०/का०/गो०प्र०/०७/२४५

दिनांक:- १५-५-२००८

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आघश्यक कार्ययाही डेस्ट्र प्रेषित है—

- १ निजी संचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध नियंत्रक महोदय, रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
- २ समस्त विभागाध्यक्ष \_\_\_\_\_ रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
- ३ समस्त महा प्रबन्धक(संचार) \_\_\_\_\_ जोन, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- ४ समस्त उप महा प्रबन्धक ( \_\_\_\_\_ ) रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
- ५ कार्यकारी प्रबन्धक ( \_\_\_\_\_ ) रारापपनिगम, मुख्यालय, जयपुर
- ६ समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / संखाधिकारी, रारापपनिगम, कलारी, विद्युत विभाग, मुख्यालय, जयपुर
- ७ समस्त मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (पित्त/प्रशासन/संचालन/यातायात) रापनि — आगर
- ८ आदेश पत्रावली।

उप महा प्रबन्धक (प्रशासन)

क्रमांक - ३० / छा० / प्रस० / ०७ / ३४८

दिनांक - ५. ७. २००७


### कार्यालय-आदेश

यह देखने में आया है कि निगम में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों से विभिन्न मदों यथा टायर कट, अंकेक्षण बसूली, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों की बसूली, अधिक डीजल खपत की बसूली, कम राजस्व की बसूली, निर्धारित लक्ष्य से कम आय देने पर बसूली, मार्ग निरस्तीकरण बसूली इन आरोप पत्र जारी किये की जा रही है।

उक्त प्रकरणों में एतद् द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे प्रकरण जिनमें वित्तीय हानि बसूली प्रशासनिक आदेश के द्वारा दिना आरोप पत्र जारी किये अथवा दिना अनुशासनिक कार्यवाही किये की गयी हैं। ऐसे प्रकरणों को अनुशासनिक कार्यवाही का हिस्सा (Part) नहीं माना जावेगा।

इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिनसे दिना आरोप पत्र जारी किये हानि बसूली (Recovery of Losses) की गई है ऐसी हानि बसूली राशि को चयनित येतनमान स्वीकृति में बाधक नहीं माना जावेगा।

पूर्व में निरतारित किये गये प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जावेगा।

  
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक - ३० / छा० / प्रस० / ०७ / ३४८

दिनांक - ५. ७. २००७

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- १ निजी सचिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- २ समर्त प्रभागाध्यक्ष —————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- ३ रागरत-नियमप्रबन्धक —————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- ४ समर्त संयुक्त महाप्रबन्धक —————— रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- ५ रायित निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
- ६ कार्यकारी प्रबन्धक ( ) रापनि, मुख्यालय, जयपुर
- ७ उत्तराधान प्रबन्धक, / लेखाधिकारी रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर, अजमेर, जोधपुर
- ८ रामरत नुत्य प्रबन्धक / प्रबन्धक (प्रशासन / याता० / दित्त / संचालन) रापनि, केन्द्रीय लगानीर, देशालीनार, विद्यालयनार, झोलुनाहूरी, सीडीएस, जयपुर / ऊलपर / मत्तपनगर / दौहारा / दौहारा / दौलपुर / कोटपूराली / दिल्ली / टोक / दैदी / कोटा / बारा / छालायाड / हैदरानगर / श्रीमंजूपुर / सीडी / शुन्नुद / खंडवी / थूल / दीजानेर / सरदारशहर / इन्द्रगढ़ / लालबाजार / दौलपाठ / अजमेर / अजयपाल / लोदीएस, अजमेर / याता० / नांगौर / डीडियाना / भीलधाड / याता० / दौलपाठ आगर
- ९ अधिकारी निदेशक

  
कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)

### कार्यालय-आदेश

निगम में दिनांक 20.1.2006 को बाद नियुक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज क्या-क्या सुविधाएं देय होगी, इस घाषत मार्गदर्शन चाहने के सम्बन्ध में विभिन्न यूनिटों से बड़ी संख्या में पत्र प्राप्त हुये हैं।

प्राप्त पत्रों के क्रम में एतद द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि नांक 20.1.2006 व इसके बाद निगम में फिक्स मासिक पारिश्रमिक पर युक्त प्रोबेशनर ट्रेनीज को राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम वीजन) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.3.06 के अनुसार एक लैण्डर वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश देय होंगे। परिवेक्षकाकाल पर नियुक्त प्रशिक्षणार्थीयों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान किसी प्रकार का नार्जित अवकाश देय नहीं होगा तथा परिवेक्षकाकाल सफलता पूर्वक पूर्ण रूप के बाद इन्हें नियमित वेतन शृंखला में नियुक्ति दिये जाने पर 9,18, 27 वर्षीय वयनित वेतनमान का लाभ भी देय नहीं होगा।

प्रोबेशनर ट्रेनीज को नियनानुसार साम्पात्तिक विश्राम भी देय होगा। यह आदेश इस कार्यालय से प्रसारित आदेश क्रमांक मु० /का० / ३००/एफ २८०/२००७/१३२ दिनांक १७.३.०७ की निरन्तरता में जारी रखे जा रहे हैं।

*१९.७.२००७*  
प्रबन्ध निदेशक

प्राप्तिक्रिया- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

१. निजी संघिव, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, रापनि, मुख्यालय, जयपुर
२. समस्त विभागाध्यक्ष \_\_\_\_\_ रापनि, मुख्यालय, जयपुर
३. समस्त महाप्रबन्धक \_\_\_\_\_ रापनि, मुख्यालय, जयपुर
४. समस्त संयुक्त महाप्रबन्धक \_\_\_\_\_ रापनि, मुख्यालय, जयपुर
५. संधिव निगम, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
६. सहायक लेखाधिकारी (भुगतान) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर
७. सनस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रापनि, केन्द्रीय कार्यशाला, जयपुर / अजमेर / जोधपुर
८. मुख्य प्रबन्धक, रापनि, चूपिया / जयपुर / लागंवर / वैशालीनगर / विद्यापरिवार / झीलानाईवारी / दीनीपुर / जयपुर / झलपर / नरसनगर / तिजारा / भरतपुर / लौहानड / धौलपुर / कोटपूतली / दिल्ली / टोक / दूरी / कोटा / दारा / झालावाड / दुर्दीर / दीका / हिरडोल / शीमायोपुर / चौकान / छून्हुर / छेतडी / घूर / चौकानेर / भरदारपाल / डमुकानगढ / श्रीगंगामगर / अमूरपाल / अजमेर / अजयमेळ / सीधीएस.अजमेर / ब्यावर / नागार / टीकड़ाग / भीतचाडा / फिरोडगढ / उदयपुर / दौरानपुर / बासवाडा / चौधपुर / आवूराड / तिरोही / जालीर / फालना / फाली / कलीदी / बाडमेर / आहमदाबाद आगार ।।
९. आदेश पत्रावली ।